

आठवाँ अंक



जून 1997

चेतना



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ॥ बिहार, पटना
का कार्यालय

आवरण पृष्ठ : “अशोक स्तम्भ”, वैशाली, बिहार

चेतना

अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका
आठवां अंक

प्रकाशक :

महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)-II, बिहार. पटना
का कार्यालय

चेतना परिवार

संरक्षक :

श्री अरुण कुमार सिंह

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) ॥

बिहार, पटना

प्रकाशन परामर्शदातृ समिति :

श्री प्रवीण कुमार तिवारी

उप-महालेखाकार, बिहार, पटना

श्रीमंती रीमा प्रकाश

उप-महालेखाकार, बिहार, पटना

श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिहार, पटना

सम्पादक-मंडल

प्रधान सम्पादक :

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिहार, पटना

संयुक्त सम्पादक :

डॉ० जितेन्द्र कुमार

अनुभाग अधिकारी, हिन्दी कक्ष

स्वत्वाधिकार : महालेखाकार (ले० एवं ह०) - II, बिहार, पटना
प्रकाशन : चेतना अर्द्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका
प्रकाशक : महालेखाकार (ले० एवं ह०) II, बिहार, पटना
का कार्यालय, पटना - 800 001
अंक : आठवां अंक - जून, 1997
मूल्य : निः शुल्क
मुद्रक : मित्रम् प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स
धरहरा कोठी, नयाटोला, पटना-4

“सज्जन-चरित सिखाते, हम भी कर सकते हैं निज उज्ज्वल,
जग से जाते, समय-रेत पर छोड़ें चरण-चिह्न निर्मल ।
चरण-चिह्न को देख कदाचित् उत्साहित हों वे भाई;
भव-सागर की चट्टानों पर, नौका जिनकी टकराई ।”

—लक्ष्मी नारायण मिश्र

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥
कार्य मनोरथ से नहीं, उद्यम से सिद्ध होते हैं । सोये हुए
सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चले जाते ।

—पंचतन्त्रम्

महालेखाकार (ले० एवं ह०) -II, बिहार, पटना का संदेश

“हिन्दी” हमारी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान में इसे “राजभाषा” का गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतवर्ष की साझी संस्कृति को विकसित एवं सम्पन्न करने में हिन्दी का बड़ा योगदान है। बीसवीं सदी के दूसरे दशक में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साहित्य से ही हिन्दी का आधुनिक काल आरम्भ हो चुका था। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी भाषी जनता को अपनी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान के लिए प्रेरित किया। भारतेन्दु और प्रेमचन्द्र ने सांस्कृतिक स्तर पर एक स्वतंत्र भारत के लिये जनता को आन्दोलित किया और भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में हिन्दी की केन्द्रीय भूमिका रही। हिन्दी के साथ-साथ उर्दू, बंगला, तमिल, मलयालम तेलगू, मराठी आदि भाषाओं के साहित्यकारों ने मिलकर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं दिनों एक नयी साझी भारतीय संस्कृति का जन्म एवं विकास हुआ— एक ऐसी संस्कृति जिसमें किसी भी तरह के अलगाववाद की गुंजाइश नहीं थी। उन दिनों हिन्दी के प्रति तमाम दूसरी भाषाओं के लोगों के मन में सहज सम्मान था साथ ही हिन्दी भाषी जनता में भी एक उदार लोकतांत्रिक आचरण लोकप्रिय था।

लेकिन, फिलहाल वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आज देश के कई हिस्सों में अलगाववाद का भयानक दौर जारी है। तमाम भारतीय भाषाएँ इस दौर का शिकार बन रही हैं जिससे कि हिन्दी और दूसरी भाषाओं के बीच जो एक सहज ऐतिहासिक प्रेम संबंध रहा है उसके लिये खतरा पैदा हो गया है। जो लोग हिन्दी का विकास चाहते हैं उन्हें तमाम

दूसरी भाषाओं के प्रति सहिष्णु एवं उदार होना पड़ेगा। यही लोकतंत्र का तकाजा है और इसी तरह एक भाषा का विकास संभव है। किसी भी तरह को संकीर्णता से अत्यधिक नुकसान पहुँचेगा।

हिन्दी को सरकारी कामकाज में उचित स्थान दिलाने की दिशा में आजादी के बाद के दशकों में बड़ी प्रगति हुई है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है हमारी यह पत्रिका—‘चेतना’।

मुझे यह सूचित करते हुए असीम आनन्द की अनुभूति हो रही है कि पत्रिका का यह आठवां अंक सुधी एवं सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं उन समस्त रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के सम्पादक-मंडल एवं परामर्शदातृ समिति को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य रचनाओं एवं मार्ग-दर्शन से पत्रिका के कलेवर को सुसज्जित किया है। आशा है, भविष्य में भी वे अपनी जीवंत कृतियों से पत्रिका की गरिमा में चार चांद लगाते रहेंगे।

अन्त में, हमारी पत्रिका “चेतना” कार्यालय में उपलब्ध सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देकर हिन्दी-प्रयोग की प्रगति हेतु लोगों के मन-प्राण में चेतना का अलख जलाती रहे—यही हमारी शुभकामना एवं अन्तर्भावना है।

अरुण कुमार सिंह

महालेखाकार (ले० एवं ह०) - II,

बिहार, पटना।

□

उप महालेखाकार (प्रशासन एवं पेंशन), बिहार, पटना का संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक पत्रिका "चेतना" का आठवाँ अंक प्रकाशित होने जा रहा है ।

आशा करता हूँ कि यह पत्रिका सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी तथा कार्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिन्दी में काम करने की महती प्रेरणा प्रदान करेगी ।

पत्रिका के रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को धन्यवाद देते हुए पत्रिका की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

प्रवीण कुमार तिवारी,
उपमहालेखाकार (प्रशासन/पेंशन),
बिहार, पटना ।

उपमहालेखाकार (जी० ई० एवं निधि,) बिहार, पटना का संदेश

मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि कार्यालय से हिन्दी पत्रिका "चेतना" का आठवाँ अंक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है । इस पत्रिका ने पाठकों का ध्यान राष्ट्रभाषा "हिन्दी" के प्रति आकृष्ट करते हुए उनके मन-प्राण में "हिन्दी" के प्रति जागरूकता पैदा की है तथा उसके उन्नयन के लिए प्रेरित किया है । पत्रिका के समस्त रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को उनके सार्थक प्रयास के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सहयोग से यह पत्रिका दिनानुदिन प्रगति करेगी ।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक कामना करती हूँ ।

रीमा प्रकाश,
उपमहालेखाकार (जी० ई०/निधि,
बिहार, पटना ।

सम्पादकीय

हिन्दी एक सरल, सशक्त एवं जीवंत भाषा है। इसकी समृद्ध परम्परा और प्रवहमान सामाजिकता उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा की तलहटी तक और पूरब में भागलपुर से लेकर पश्चिम में अमृतसर तक फैली हुई है। इसका प्रयोग साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल-कॉलेज, प्रशासन, संसद और विधान-मंडलों में प्रतिदिन किया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय संघ की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी आज सारे देश की भाषा है। आज हिन्दी एक राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, अपितु एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी बन चुकी है। अबतक के हुए विश्व हिन्दी सम्मेलनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हिन्दी भाषा मानव के शोषण के विरुद्ध प्रभावशाली अभियान का माध्यम बन सकती है और समस्त मानव-जाति को मानवता की सेवा का सन्देश दे सकती है। अतः हिन्दी के दिनानुदिन प्रचार-प्रसार की परमावश्यकता है ताकि इसे अधिक से अधिक प्रेम, समन्वय एवं सौहार्द की भाषा बनायी जा सके। भारतीय संविधान में भी यह अपेक्षा की गई है कि हिन्दी “आठवीं अनुसूची” में उल्लिखित अन्य सत्रह भाषाओं के शब्दों और पदों को लेकर अपने शब्द-भंडार की वृद्धि करेगी और ये भाषाएँ हिन्दी के अधिकाधिक विकास में सहायक सिद्ध होंगी। किन्तु, इस कार्य में ऐसी और भाषाएँ सहायक हो सकती हैं जिनका उल्लेख संविधान की “आठवीं अनुसूची” में नहीं है। दैनिक कार्य-व्यवहार में जो शब्द बहुधा प्रचलित हो जाते हैं, वे हिन्दी में भी स्वतः चले आते हैं। इस पर न कोई रोक लगाता है और न ऐसी रोक कृत्रिम रूप में लगाये जाने पर प्रभावी हो सकती है। अतः हिन्दी को समृद्ध करने का सर्वमान्य मार्ग है—“शब्द भंडार का विस्तार”। इसके लिए अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को आत्मसात् करना ही होगा चाहे वे शब्द भाषाई हों, तकनीकी हों, विधिगत हों।

इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इस कार्यालय से हिन्दी की यह पत्रिका “चेतना” प्रकाशित होती रही है। पत्रिका का आठवां अंक प्रस्तुत करते हुए हमें असीम आनन्द की अनुभूति हो रही है। आशा है, यह आठवां पुष्प भी पूर्व की भाँति अपनी सुरभि से पाठकों को आह्लादित करेगा।

अपार हर्ष की बात है कि पत्रिका के संरक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, बिहार, पटना, राष्ट्रभाषा हिन्दी के अनन्य प्रेमी हैं। आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि आपकी स्नेहिल छाया में कार्यालय में “हिन्दी” का प्रयोग दिनानुदिन बढ़ता ही जायेगा और “हिन्दी” सुशोभित होती रहेगी।

पत्रिका में जिन सहृदय बन्धुओं ने अपनी रचनाएँ देकर “चेतना” के कलेवर को सुसज्जित

किया है, हम उनके ऋणी हैं। परामर्शदातृ समिति के सदस्यों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हुए कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव देकर पत्रिका के स्तर को बढ़ाया है।

मैं सम्पादक-मंडल के संयुक्त सम्पादक डॉ० जितेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, हिन्दी-कक्ष तथा उनके सहयोगी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह "नाहर", वरिष्ठ लेखाकार तथा श्री नागेश्वर सिंह, लिपिक के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनकी अटूट कर्तव्यनिष्ठा एवं अपार हिन्दी-भक्ति ने पत्रिका को सशक्त, सुन्दर एवं संप्राण बनाने में अहम् भूमिका निभायी है जिनके अपेक्षित सहयोग के बिना पत्रिका शायद जीवंत नहीं हो पाती।

अन्त में, सुधी पाठकों से मेरा साग्रह अनुरोध है कि वे पत्रिका के सन्दर्भ में अपने बहुमूल्य सुझाव भेजकर हमें अनुगृहीत करते रहें, ताकि उनके मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा का संबल मिलता रहे।

"जय हिन्द", "जय हिन्दी"।

सतीश चन्द्र सिन्हा

81	अधीनस्थ	छात्र
82	अधीनस्थ	छात्र
83	अधीनस्थ	छात्र
84	अधीनस्थ	छात्र
85	अधीनस्थ	छात्र
86	अधीनस्थ	छात्र
87	अधीनस्थ	छात्र
88	अधीनस्थ	छात्र
89	अधीनस्थ	छात्र
90	अधीनस्थ	छात्र
91	अधीनस्थ	छात्र
92	अधीनस्थ	छात्र
93	अधीनस्थ	छात्र
94	अधीनस्थ	छात्र
95	अधीनस्थ	छात्र
96	अधीनस्थ	छात्र
97	अधीनस्थ	छात्र
98	अधीनस्थ	छात्र
99	अधीनस्थ	छात्र
100	अधीनस्थ	छात्र

81 अधीनस्थ छात्र 82 अधीनस्थ छात्र 83 अधीनस्थ छात्र 84 अधीनस्थ छात्र 85 अधीनस्थ छात्र 86 अधीनस्थ छात्र 87 अधीनस्थ छात्र 88 अधीनस्थ छात्र 89 अधीनस्थ छात्र 90 अधीनस्थ छात्र 91 अधीनस्थ छात्र 92 अधीनस्थ छात्र 93 अधीनस्थ छात्र 94 अधीनस्थ छात्र 95 अधीनस्थ छात्र 96 अधीनस्थ छात्र 97 अधीनस्थ छात्र 98 अधीनस्थ छात्र 99 अधीनस्थ छात्र 100 अधीनस्थ छात्र

कक्षा 10 के छात्रों के नामों की सूची दी गई है। इस सूची में छात्रों के नामों के साथ उनके पते भी दिए गए हैं। छात्रों को अपने पते की जानकारी देनी चाहिए।

रचनाक्रम

क्र.सं. विषय	रचना के	रचयिता	पृष्ठ
1. चेतना परिवार			4
2. महालेखाकार का संदेश			5
3. उपमहालेखाकार प्रशासन एवं पेंशन का संदेश)			5
4. उपमहालेखाकार (जी० ई० एवं निधि) का संदेश			6
5. सम्पादकीय			8
6. अनुक्रमाणिका			9
7. आपके पत्र			11
8. गुणवत्ता-हमारे कार्यालय के सन्दर्भ में	लेख	श्री. अरुण कुमार सिंह	11
9. राष्ट्रीय एकता	कविता	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर'	13
10. मोह न नारी, नारी कर रुपा	लेख	श्री युगल किशोर झा	14
11. गजल	गजल	श्री शब्बीर हसन 'शब्बीर'	17
12. यही है अच्छा	कविता	श्री राजाराम गिरि	17
13. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी के बढ़ावे के लिए सुझाव	लेख	डॉ० जितेन्द्र कुमार	18
14. आत्म-सम्मान	लेख	डॉ० इन्द्रदेव सिंह	21
15. बेवफाई	कविता	श्री चन्द्रिका सिंह	23
16. अध्यात्म की दृष्टि में-पुरुषार्थ	लेख	श्री संजय कुमार, नं०-3	24
17. गाँव के मजदूर के बच्चे	निबन्ध	श्री राम बाबू राम	25
18. भक्ति	लेख	श्री शिव शंकर तिवारी	27
19. दहेज : हमारा सामाजिक अभिशाप	लेख	श्री शशि भूषण प्रसाद	28
20. ओलम्पिक और भारतीय हॉकी	लेख	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	29
21. आशा ही जीवन है	लेख	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र	31
22. अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा	लेख	श्री शम्भु दयाल	32
23. इन्सान	लेख	श्री अवधेश सिंह	34
24. पेंशन-कार्य के निष्पादन में कम्प्यूटर की मदद	लेख	श्री अच्युतानन्द सिंह	36
25. महसूस (अनुभूति)	लेख	श्री राजेन्द्र प्रसाद रजक	38
26. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996-97 के वार्षिक कार्यक्रम से उद्धृत अंश			40

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से महालेखाकार कार्यालय का सहमत होना आवश्यक नहीं है। ये उनके (रचनाकारों के) निजी विचार हैं। साथ ही रचना की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं जिम्मेवार हैं।

—प्रधान सम्पादक

आपके-पत्र

आपके कार्यालय की पत्रिका का सातवाँ अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ, कविता एवं लेख आदि सामग्री रोचक एवं पठनीय हैं। पत्रिका में संकलित विशिष्ट आलेख डॉ० जितेन्द्र कुमार के लेख "वैष्णव देवी", सुश्री सुमन तिग्गा की कविता "जिन्दगी कुछ आधी, कुछ अधूरी", राजाराम गिरि की व्यंग-कविता "ओलम्पिक चैम्पियन", अशोक कुमार केसरी की कविता "तिरंगा" के साथ शब्बीर हसन 'शब्बीर' की गजल "गजल" प्रशंसनीय हैं। पत्रिका की साज-सज्जा अति आकर्षक एवं उत्कृष्ट है, पत्रिका राजभाषा-प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है। इसके लिए सम्पादक-मंडल को हार्दिक धन्यवाद एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।

उत्तर प्रदेश
17.09.1996

मीना बोस,

इलाहाबाद सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
महालेखाकार (ले.प.)।, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

"चेतना" पत्रिका के सातवें अंक की प्रति प्राप्त हुई। एतदर्थ धन्यवाद। वैसे तो पत्रिका में समाविष्ट समूची सामग्री ज्ञानवर्धक तथा रोचक है, परन्तु पीयूष ओझा की कविता "शायद इसीलिए" आजकल देश में व्याप्त यथार्थता को सुन्दर ढंग से चित्रित करती प्रतीत होती है। सत्येन्द्र कुमार सिन्हा की कविता "माँ के प्रति" तथा अशोक कुमार "केसरी" की कविता "तिरंगा" रोचक बन पड़ी है।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु लेखा-परीक्षा परिवार की शुभकामनाएँ।

चंडीगढ़
26.09.1996

यशपाल सहगल
सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी (हिन्दी कक्ष)
महालेखाकार (ले.प.) पंजाब चंडीगढ़

हिन्दी पत्रिका "चेतना" के सातवें अंक की प्राप्ति पर हार्दिक प्रसन्नता हुई। पत्रिका में छपे सभी लेख अति उत्तम एवं सारगर्भित हैं, लेकिन इनमें से डा० जितेन्द्र कुमार द्वारा लिखित लेख "वैष्णवदेवी की यात्रा" पाठकों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है।

मैं पत्रिका की निरन्तर प्रगति की कामना करता हूँ तथा पत्रिका के रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को साधुवाद देता हूँ।

नई दिल्ली
08.10.1996

राजेश कुमार,
वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी (रा.भा.)
महानिदेशक लेखा-परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली-2

हिन्दी पत्रिका "चेतना" का सातवाँ अंक प्राप्त हुआ।

पत्रिका की समस्त रचनाएँ रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं।
पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हैं।

मुम्बई,
04.10.1996

लेखा-परीक्षा अधिकारी,
राजभाषा अनुभाग,
प्रधान महालेखाकार (ले. प.)- 1,
महाराष्ट्र, मुम्बई- 20

हिन्दी पत्रिका "चेतना" के सातवें अंक की एक प्रति
प्राप्त हुई, धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ जानकारीप्रद व
रुचिकर हैं। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हमारी
शुभकामनाएँ।

ग्वालियर,
14.10.1996

बी० एस० रघुवंशी,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिन्दी-कक्ष)
महालेखाकार (ले. एवं ह.) प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

आपकी पत्रिका "चेतना" में सम्मिलित रचनाएँ पठनीय
हैं। इसमें "एक ही रास्ता", "अध्यात्म में विज्ञान का
महत्व", "शायद इसीलिए" और "फिर भी कहते हैं"
इत्यादि रचनाएँ विशेष प्रशंसनीय हैं। पत्रिका के रचनाकारों
एवं सम्पादक-मंडल को हार्दिक शुभेक्षा।

उन्मीद है, अगली पत्रिका भी हमें यथासमय प्राप्त
होगी।

मुम्बई,
04.12.1996.

महालेखाकार (ले. एवं ह.) -1,
उपमहालेखाकार (प्रशासन),
महाराष्ट्र, मुम्बई- 20

"चेतना" का सातवाँ अंक प्राप्त हुआ, इसके लिए
धन्यवाद।

पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ अधिकारियों तथा
कर्मचारियों की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति निष्ठा के द्योतक
हैं। सभी रचनाएँ ज्ञानवर्द्धक, भावप्रद तथा रोचक हैं।
पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

कलकत्ता,
07.11.1996.

अ० कु० सेन,
लेखा-परीक्षा अधिकारी, हिन्दी सेल,
प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा कार्यालय,
केन्द्रीय, कलकत्ता।

"चेतना" के सातवें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई,
धन्यवाद।

अंक में समाविष्ट सभी रचनाएँ उत्कृष्ट हैं, काव्य-"जिन्दगी
कुछ आधी, कुछ अधूरी" एवं "समय की अनुभूति-स्मृति
के सापेक्ष" विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लेख "एक
ही रास्ता" में लेखक ने प्रभुमय जीवन की राह पर चलने
की सुन्दर प्रेरणा दी है। सभी रचनाकारों/सम्पादक-मंडल
को धन्यवाद।

राजकोट,

22.11.1996

क० कुमार,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी, हिन्दी-कक्ष,
महालेखाकार (ले. एवं ह.), गुजरात,
राजकोट।

गुणवत्ता-हमारे कार्यालय के संदर्भ में

—श्री अरुण कुमार सिंह,
महालेखाकार (ले. एवं ह.) II, बिहार पटना

आजकल गुणवत्ता की बातें सभी करते हैं। टी० वी० पर रोज नयी-नयी गुणवत्ता से परिपूर्ण वस्तुओं एवं उपकरणों का विज्ञापन देखने को मिलता है। अखबारों में उन कंपनियों के, जो ऐसी वस्तुओं का निर्माण एवं वितरण कर उपभोक्ताओं की जरूरतों को ज्यादा बेहतर पूरा कर रही हैं, चर्चे होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ भी पीछे नहीं हैं और अब उनमें भी उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद एवं सेवा प्रदान करने के लिये होड़ लगी हुई है। और तो और, कलकत्ते के नगर निगम द्वारा नागरिक सुविधायें बढ़ाने एवं यातायात तथा सफाई में सुधार करने के नये तरीके अन्य निगमों एवं सरकारी विभागों के लिये मिसाल बन गये हैं।

गुणवत्ता कोई अमूर्त धारणा नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बराबर छूने वाला एक बोध है। हम सभी उपभोक्ता हैं—वस्तुओं या सेवाओं के। हम सभी चाहते हैं कि जिन वस्तुओं का हम व्यवहार करते हैं। वे गुणवत्ता की कसौटी पर खरी उतरें। हम सबों ने आई एस० आई० (I.S.I.) मार्क का नाम सुना है। आजकल हमलोग गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड आई० एस० ओ० 9000 (ISO 9000) की चर्चा भी सुनते हैं, जिसे भारत की कई बड़ी कंपनियों ने हासिल किया है। इन मानदंडों द्वारा उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार जनता को “सूचना प्राप्त करने का अधिकार” (Right to information) दिलाने को कटिबद्ध है और इस संबंधी एक विधेयक संसद में लाना चाहती है। सूचना प्राप्त करने का सवाल सरकारी काम-काज में गुणवत्ता के सवाल से जुड़ा हुआ है। यदि सरकार आम नागरिक को कुछ खास सुविधायें प्रदान करने के लिये एक कार्यक्रम प्रारंभ करती है तो उस कार्यक्रम के लाभार्थियों

को अधिकार होना चाहिये कि उस संबंधी सारी जानकारी उसे समय पर मिले। अब तक हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि सही जानकारी के अभाव में जनता को सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक वैसे लोग जो उन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की श्रेणी से बाहर हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं जबकि सही पात्रों को उन लाभों से वंचित रखा जा रहा है। इस विकृति से इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ा है और इससे अनेक सरकारी कार्यालयों/विभागों की साख गिरी है। आम नागरिक चाहता है कि सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह करें। सरकार जिन वचनों को पूरा नहीं कर सकती उन्हें दुहराने से क्या लाभ है ?

इस संदर्भ में आप सबों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने भी इस वर्ष के 2 फरवरी को मुख्य अखबारों में एक “आवश्यक सूचना” जारी कर इस राज्य के पेंशनभोगियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को जानकारी दी थी कि हम नियत समय के अन्दर उनके उचित लाभों का निपटारा कर देंगे। इस सूचना द्वारा हम उन्हें यह संदेश पहुँचाना चाहते थे कि उनकी सेवा हमारा परम कर्तव्य है जिसे हम पूरी निष्ठा से निभाना चाहते हैं। आज लगभग छः महीने बाद क्या हम कह सकते हैं कि उस दिये हुये वचन का पूरा पालन कर रहे हैं ?

गुणवत्ता का निर्वाह एक संकल्प है जिसे हमने मिलकर लिया है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधाएँ हैं उन्हें दूर करने का प्रशासन ने पूरा प्रयास किया है। अनुभागों को जरूरत की लेखन-सामग्री एवं अन्य वस्तुयें तुरंत मुहैया

करा दी जाती हैं। लेखाकारों के प्रशिक्षण के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ताकि उनकी क्षमता का विस्तार हो। कार्य प्रणाली का सरलीकरण किया गया है और अनेक प्रक्रियाओं को जो अनावश्यक जटिलता पैदा करती थीं, हटा दिया गया है। हर कार्य प्रणाली को परिभाषित कर उसके हर चरण को पूरा करने के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है ताकि हर कर्मी को अपेक्षाओं की जानकारी हो। हर अनुभाग द्वारा किये गये कार्यों का साप्ताहिक रिपोर्ट बनाया जाता है ताकि उसे कमियों/त्रुटियों की जानकारी मिल सके एवं उन्हें दूर करने के लिये समय पर कदम उठा लिये जायें। कम्प्यूटीकरण का लाभ उठाते हुये हर पेंशन संबंधी प्राधिकार एवं ज्ञापन पत्र को कम्प्यूटर से ही तैयार किया जा रहा है। भविष्य निधि अंशदाताओं के बी० टी० संबंधी आँकड़ों एवं जानकारीयों का संचित भंडार कम्प्यूटर के सहारे तैयार कर लिया गया है, जिससे निधि अनुभागों को शिकायती पत्रों का शीघ्र उत्तर देने में बड़ी सुविधा होगी।

गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया जो हमने जून, 1996 में शुरू की थी, काफी प्रगति पर है। इससे हमारी कार्य प्रणाली में बहुत सुधार हुआ है एवं राज्य के पेंशनभोगियों एवं अधिकारियों को बेहतर सेवा का लाभ मिला है। शिकायत पत्रों की संख्या कम हो रही है एवं सहायता कोषांग के सामने की भीड़ भी पहले से काफी कम हुयी है। गुणवत्ता के इस खोज में हम सभी सहभागी हैं। इस कार्यालय का कोई भी कर्मचारी चाहे वह किसी भी स्तर पर कार्यरत हो गुणवत्ता-सुधार के अभियान में योगदान दे सकता है। गुणवत्ता-सुधार संबंधी सुझावों का, चाहे वह किसी भी स्रोत से हो, स्वागत है और प्रशासन सभी को इसके लिये आह्वान करती है। जहाँ हम दूसरों से गुणवत्ता की अपेक्षा करते हैं, वहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि दूसरे भी हमसे वही अपेक्षा करते हैं। हम सभी मिलकर यह संकल्प दुहरायें कि हम अपने कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाकर उन सरकारी सेवकों की, जो हम पर अपने उचित लाभों की प्राप्ति के लिये निर्भर हैं, कठिनाई दूर करें।

□

“हम सबको हाथ की उँगलियों की तरह रहना चाहिए। हाथ की पाँचों उँगलियाँ समान थोड़े ही हैं? कोई छोटी है, कोई बड़ी, लेकिन हाथ से किसी चीज को उठाना होता है तो पाँचों इकट्ठा होकर उठाती हैं। हैं तो पाँच, लेकिन काम हजारों का कर लेती हैं, क्योंकि उनमें एकता है।”

आचार्य विनोबा भावे

“राष्ट्रीय एकता”

—नरेन्द्र कुमार सिंह “नाहर”

एम० ए०; एल० एल० बी०
वरिष्ठ लेखाकार, हिन्दी-कक्ष

राष्ट्र की एकता,
उसकी सर्वाधिक आवश्यकता ।
हम बिहारी हों या मद्रासी या बंगाली,
सबके कंधों पर है राष्ट्र की रखवाली ।
हम हिन्दू हों या मुस्लिम या सिक्ख, ईसाई,
सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, भाई ।

एकता क्या है ?

अनेकता का अभाव,
पारस्परिक प्रेम औ' सद्भाव ।
एकता है राष्ट्र की प्रगति,
अनेकता है राष्ट्र की अवनति ।
एकता हमारे होठों का हास है,
अनेकता उनका परिहास है ।

भारत है महान देश,
यहाँ हैं विविध वेष ।
यहाँ हैं विभिन्न जातियाँ,
जिनकी हैं अनेक बोलियाँ ।
लगता है, हम हैं अनेक,
किन्तु, संकट में हो जाते हैं एक ।
यही है हमारा विरोधाभास,
जिसका तो है हमें आभास ।

फिर भी, हम आपस में लड़ते हैं,
झूठी शान-शौकत के लिए मर-मिटते हैं।
हम सभी राष्ट्र के प्रति एक हों,
चाहे हम क्यों न अनेक हों ?
जब हम सभी हैं राष्ट्र-पोत के चालक,
तो क्यों बने रहते हैं नादान बालक ?
यहाँ है विभिन्न सम्प्रदाय,
किन्तु वे हैं हमारे विश्वासों के पर्याय ।
एकता के लिए आवश्यक है—
साम्प्रदायिक सद्भाव,
पारस्परिक वैमनस्य का अभाव ।
फिर, हमारी कुछ भी हो जातियाँ औ' बोलियाँ,
अक्षुण्ण रहेंगी सदा हमारी कीर्ति रश्मियाँ ।

□

“मोह न नारी, नारी कर रूपा”

— श्री युगल किशोर झा,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

भक्त तुलसी दास जी महाराज का वह कथन “मोह न नारी, नारी कर रूपा” वास्तव में कितना सत्य है कि इसका जब आप विश्लेषण करेंगे तो पायेंगे वस्तुतः नारी का दुश्मन नारी ही है। नारी को अबला, असहाय बनाने में माँ एवं सास की अहम् भूमिका है।

देखिये, जब लड़की 10 साल की होती है तो माँ का अंकुश लड़की पर पड़ने लगता है। उसे लड़कों के साथ खेलने के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है कि तुम लड़कों के साथ मत खेलो, तुम लड़की हो। वह खिलखिलाकर हँसती है तो उसे कहा जाता है जोर से मत हँसो, तुम लड़की हो। बाहर खड़ी होती है तो कहा जाता है तुम बाहर मत खड़ी रहो, तुम लड़की हो। जवानी में कदम रखने पर तो और भी पाबंदी बढ़ जाती है। पड़ोस की ओर यदि खिड़की पड़ जाय तो खिड़की खोलकर वह बैठ भी नहीं सकती है। यदि भाग्यवश किसी का परिवार स्वतंत्र विचार का हो तो उस घर की बहू-बेटी की शिकायत दूसरे घर की स्त्रियाँ करने से बाज नहीं आएँगी।

शादी होने के बाद जब वही लड़की बहू बन कर ससुराल पहुँचती है तो वहाँ सास, ननद, श्वसुर, पति आदि का शासन शुरु हो जाता है। उसे दिन भर घूँघट में रहना है, जोर से हँसना नहीं है, उसके शरीर में बाहर की स्वच्छ हवा, धूप नहीं लगनी है। उसका कोई साथी यदि मैके से मिलने आता है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है। कहीं बहू यदि जबरदस्त निकली तो सारे मुहल्ले में उसकी शिकायत करने में उसकी सास, ननद, श्वसुर एक कसर नहीं छोड़ेंगे।

कॉलेज में यदि लड़की अपने ब्वाय फ्रेंड से बात करती देखी गई तो उसकी खिल्ली दूसरी लड़कियाँ उड़ायेंगी। दफ्तर में कोई महिला कर्मचारी यदि किसी अन्य पुरुष कर्मचारी के साथ किसी कार्यवश जाएगी तो उसकी खिल्ली

दूसरी महिला कर्मचारी उड़ायेगी। जरा सोचिये नारियों के साथ ऐसा क्यों होता है? पुरुष के साथ क्यों नहीं होता? कारण, एक पुरुष दूसरे की शिकायत नहीं करता है, लेकिन एक औरत अपना खाना खा कर दूसरी औरत की शिकायत करने में ही अपना बड़प्पन समझती है। कहावत है—“औरत भात पचा सकती है, लेकिन बात नहीं पचा सकती है।”

नारी शब्द के उच्चारण मात्र से सबों के मानस-पटल पर एक निरीह अबला, असहाय, गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई एक सौम्य मूर्ति की तस्वीर खड़ी हो जाती है। जरा सोचिये, जिस नारी ने महापुरुषों को जन्म दिया, जो सृष्टि की अधिष्ठात्री है, जो पुरुषों की शक्ति है, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है वह अबला बनी हुई है, असहाय है। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण स्पष्ट है। उसे शुरू से, जन्म से ही दबाया जा रहा है। उसके मन में डर पैदा किया गया है जिस कारण औरतों में जो कलंक, त्रिया चरित्र का, झूठ बोलने का, बेवफाई का लगा हुआ है वह आज भी विद्यमान है। उसे अबला बनाने में, उसके अन्दर डर पैदा कराने में माँ एवं सास का ही हाथ है। डर एवं लज्जा की भावना ही उसे दबाये हुए है।

आज बहुओं को जलाने में उसकी सास, ननद का हाथ होता है। बेटी यदि गलती करती है, चाहे उसका परिणाम भयंकर ही क्यों न हो, उसे माँ-बाप छुपा लेते हैं, लेकिन यदि बहू गलती नहीं भी करती है तब भी सास की नजरों में वह गलती ही मानी जाएगी एवं सारा परिवार बहू को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। दिन-रात अपने पति से, अपने बेटे से उसकी शिकायत करती रहेगी। दुर्भाग्यवश कहीं बहू बाल विधवा हो जाए तो उस नारी को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। उस नारी का जीना ससुराल में तो क्या मैके में भी मुश्किल हो जाता है। समाज

भेड़ियों की दृष्टि से उसे देखता है। खुद अपना श्वसुर, देवर नीचता पर उतर आता है। उसका जीना हराम कर देता है। उसके हँसने-बोलने, चलने-फिरने, उठने-बैठने, खाने-पीने-हर बात पर पाबंदी लग जाती है, मानो विधवा होने में स्वयं उसका ही कसूर हो। वह किसी हमदर्द से भी बात नहीं कर सकती है। बात करने पर उस पर तोहमत स्वयं सास ही लगायेगी। उसे भगवान भी मदद नहीं कर सकेंता है। यदि भगवान स्वयं किसी रूप में आकर उस अबला को मदद करने आ जाए तो उस पर भी तोहमत लग जाएगा। उसके हर आचरण पर सास, श्वसुर, ननद, देवर-सभी कोनाफूसी करते रहेंगे। वह यदि बाहर निकलेगी तो उसका योद्धा किया जाएगा। हर वक्त उसे शक की निगाह से देखा जाएगा। बेटा मरने का गम माँ को नहीं है, कारण उसका पति तो जिन्दा है। उसके रहन-सहन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बहू चूँकि उसका पति मर गया इसलिये उसे हर चीजों का त्याग करना है। सास रंगीन साड़ी पहन सकती है, होली मना सकती है, पति के साथ गुलछरे उड़ा सकती है, लेकिन उसकी बाल-विधवा बहू को सिर्फ रोना है, उसे सिर्फ आँसू बहाना है। कारण उस घर में अब उसका पति भी नहीं रहा, अब तो उसे दासी बनकर जीवन काटना है। यदि वह बातूनी हो गई, प्रतिकार करने में आमादा हो गई तो उसे कुलक्षणी एवं कुलटा की उपाधि से सुशोभित होना होगा। उसके माँ-बाप से शिकायत की धमकी दी जाएगी।

परिवार के सदस्यों को सोचना चाहिये कि उसके विधवा होने में उसका कोई कसूर नहीं है। विधवा औरत के आँसू घर को स्वाहा कर देंगे। अतः उसे हर तरह से खुश रखना चाहिये। उसे भी जीने का अधिकार है, वह भी सास की तरह ही इस घर में आयी है, उसका भी बराबर का अधिकार उस घर में है। सास की भाँति वह भी अपना भला-बुरा समझने की क्षमता रखती है। उसे भी अपने हानि-लाभ का, इज्जत मर्यादा का ज्ञान है। वह कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। उस पर शक करने, उसकी शिकायत करने का अंजाम बाद में सास-श्वसुर को भुगतना पड़ता है। वही बहू बदला लेती है तो सबों के सामने वही सास रो-रोकर कहती है कि मेरी बहू खाना नहीं देती है, मेरी

सेवा नहीं करती है और मुझे उसने घर से निकाल दिया है। जैसा वृक्ष लगायेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। बाल-विधवा को तो सहानुभूति की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों का परम कर्तव्य होना चाहिये कि येन-केन-प्रकारेण उसे खुश रखें। उसकी खुशी ही परिवार वालों की खुशी है। जिस घर में बहू को बेटी की तरह रखा जाता है वह घर आज भी स्वर्ग है। उसके विपरीत वही घर नरक है।
“नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।”

आज दहेज की वेदी पर बहुओं की कुर्बानी दी जाती है। दहेज-प्रथा सुरसा की तरह मुँह बायें खड़ी है। इसका मुख्य कारण औरत ही है। आज औरत यदि जागृत हो जाए तो बहुओं की न कुर्बानी देनी होगी और न किसी को शादी के लिये दहेज ही देना पड़ेगा। जिस तरह शरीर में नाड़ी का महत्व है, उसी प्रकार घर एवं समाज में नारी का महत्व है। बिना नारी का घर, घर नहीं कहलाता है, वैसे ही जैसे, नाड़ी की धड़कन बन्द होते ही शरीर निर्जीव हो जाता है।

सृष्टिकर्ता ने जब मानव की सृष्टि की थी उस समय पुरुष और स्त्री को स्वतंत्र रूप में ही भेजा था। उस समय न कोई बाप था, न पति था, न बेटी थी, न बहू थी, सिर्फ पुरुष और औरत ही थे। सभ्यता के विकास के साथ-साथ परिवार का सृजन हमने किया है।

चूँकि पुरुष-प्रधान समाज रहा है, इसलिए समाज ने अपने स्वार्थवश ही नारियों को दबाना शुरू किया। आज भी जहाँ नारी-प्रधान देश है वहाँ पर स्त्रियाँ परम स्वतंत्र हैं। नारियों का दुश्मन खुद नारी समाज ही है। नारियों को बदनाम करने में नारियों का ही हाथ रहता है।

आज नारी जागरण संगठन द्वारा पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात, संसद में भी नारियों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात, नौकरियों में आरक्षण देने की बात नित्य सुनने में आती है, लेकिन इन बातों से नारियों में जागृति नहीं आ सकती है। वह अबला की अबला ही रहेगी, जब तक वह खुद अपनी शक्ति को नहीं जानेगी। खुद को नहीं जगायेगी।

अतः ऐ नारियों ! अपने को जानो, अपने को पहचानो। जागो ! जागो ! तुम शक्ति स्वरूपा हो ! अपनी शक्ति को पहचानो ! दूसरों को शक्ति प्रदान करने वाली, सृष्टि की

अधिष्ठात्री अबला नहीं हो सकती । तुम अपने ऊपर लगे कलंकों को सबला बनकर धो डालो । तुम्हारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो । सोचो, नारियों के लिये ही सारा प्रतिबंध क्यों ? पुरुषों के लिये क्यों नहीं ? विधवा को देखकर यात्रा खराब हो सकती है, विधुर को देखकर क्यों नहीं ? आप अपनी शक्ति को जगाइये । महिषासुर रूपी घर को, समाज को मारने के लिए जरूरत पड़े तो दुर्गा, काली का रूप धारण कर लीजिये । आपने देखा है, काली के रूप धारण करते ही शंकर जी भी डर कर नीचे सो गये । आप अपने में साहस लाइये तभी आप सास, श्वसुर, देवर, ननद एवं समाज से लोहा ले सकेंगी । एक नारी दूसरी नारी की शिकायत करने के बजाय उसके उत्थान के लिये, उसे उसका उचित न्याय दिलाने के लिए, उसका साथ दे । आज आप साक्षर हो रही हैं । पुरानी दकियानुसी ख्यालात को तिलांजलि दीजिए । आप इन्दिरा गाँधी का अनुकरण कर सकती हैं । वह भी नारी ही थीं । आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिये

कि आप एक अबला, असहाय नारी हैं । माँ भगवती, दुर्गा, काली रूप धारण कर आपको नारी की शक्ति का ज्ञान दिला चुकी हैं । आप डरेंगी तो दुनियाँ आपको डरायेंगी ।

अतः तुलसी दास जी का वह वाक्य जिससे नारी कलंकित होती है "मोह न नारी, नारी का रूपा" उसे बदल दीजिये । अपने में साहस लाकर स्त्रियों पर लगे कलंकों कुलक्षणा, कुलटा, बेवफा, त्रिया चरित्र आदि शब्दों को घर के, समाज के शब्दकोश से सदा के लिए हटा दीजिए । यदि अब भी आप अपने में जागृति नहीं लायेंगी तो यह समाज आपके उत्थान में कभी मदद नहीं करेगा । आपको अपनी जागृति स्वयं करनी होगी । सबला नारी से सभी डरते हैं । आप सबला होकर देखें तो आज बड़े-बड़े आंदोलों पर नारियाँ सुशोभित हो रही हैं, देश चला रही हैं । नारी पुरुषों से कभी किसी भी कार्य के लिए कम नहीं पड़ती है । आप भी उन नारियों की तरह निडर होकर चलने का साहस अपने में लाइये ।

□

हिन्दी एक संघटित करने वाली शक्ति है ।

हिन्दी का प्रचार-कार्य एक वाग्यज्ञ है ।

—काकासाहेब गाडगिल

भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी-प्रचार के द्वारा एकता स्थापित करने वाले लोग सच्चे भारतबन्धु हैं ।

—महर्षि अरविन्द

गजल

—शब्बीर हसन 'शब्बीर'
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

यहाँ कोई किसी को चैन से रहने नहीं देता
गर आँसू भी बहाना हो तो वह बहने नहीं देता ।
उसे ससुराल में जलना ही तो किस्मत में लिखा है
किसी का बाप गर बेटी को जो गहने नहीं देता ।
किसी के दिल में कैसी आरजू है कौन सुनता है
जहाँ कुछ कहना भी चाहे तो वह कहने नहीं देता।
अजब आदत है झगड़े की, सुनाउँ उसका क्या किस्सा
मैं चुप रहना भी चाहूँ तो वह चुप रहने नहीं देता।
अजब है चाल बेढंगी मगर "शब्बीर" क्या कहिये
वह उल्टे पाँव गुस्से में कभी कहने नहीं देता ।

यही है "अच्छा"

—राजा राम गिरि,
वरिष्ठ लेखाकार, विधि कक्ष

सच्चरित्र विद्वान-जनों की,
संगति में रहना अच्छा ।
अपने मन की बात सदा ही,
साफ-साफ कहना अच्छा ।
जिन विषयों का ज्ञान नहीं हो,
वहाँ मौन रहना अच्छा ।
सिंघ, नख, दंत वाले पशुओं से,
हरदम डरना अच्छा ।
पर असत्य कथन को,
सदा काट करना अच्छा ।
अपना कार्य स्वयं पर रखना,
है सर्वदा ही अच्छा ।
अपना देश, अपना वेष ही,
मन में सदा रखना अच्छा ।
सामाजिक स्यद्धा की होड़ में,
अपनी चादर का ध्यान रखना ही अच्छा ॥

राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी के बढ़ावे के लिए सुझाव

-डॉ० जितेन्द्र कुमार, पी एच०डी०
एम० ए० (द्वय) अनुभाग अधिकारी
हिन्दी कक्ष

भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा हिन्दी है। राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण राष्ट्र की सामूहिक अभिव्यक्ति का एक स्वस्थ साधन होती है और सारा राज कांज जिस भाषा में हो उसे राजभाषा कहते हैं।

हिन्दी संसार की सर्वाधिक समृद्धशालिनी भाषा "संस्कृत" की ज्येष्ठ पुत्री है। डॉ० सम्पूर्णानन्द ने कहा है- "अमरभारती की इस लाडली "हिन्दी" के स्वरों में भारत की राष्ट्रीय आत्मा बोलती है।" हिन्दी पूर्णतः सशक्त भाषा है। विनोबा जी ने कहा है :- "हिन्दुस्तान की भाषाओं में आन्तरिक सामर्थ्य है, उनमें जो समृद्धि है, वह दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। हिन्दी समुद्र है। उसमें सब नदियाँ मिलती हैं। हिन्दी की खास खूबी है कि वह आसानी से क्षेत्रीय शब्दों, वाक्य-रचना-शैली को पचा सकती है। इतना पचाने की शक्ति जिसमें है, वही राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

इतना होने के बाद भी आज हिन्दी के मार्ग में अनेक अड़चने आ रही हैं। हिन्दी का विकास जिस तरह होना चाहिए वैसा अबतक देखने को नहीं मिला। भारत की परतंत्रता की बेड़ी लगभग उनचास वर्ष पूर्व ही कट गई। फिर भी लोगों को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी बोलने एवं लिखने में हिचक क्यों?

हिन्दी की प्रगति के लिए कतिपय बहुमूल्य सुझाव निम्नलिखित हैं :-

वही भाषा चल सकेगी जो प्रवाहमयी है। अतः हिन्दी भाषा में जितना प्रवाह होगा हिन्दी भाषा उतनी ही पुष्पित एवं पल्लवित होगी। हिन्दी भाषा चुस्त एवं दुरुस्त हो। इसमें अटकाव एवं रूकाव न हो। वह बोझिल न हो एवं शब्दकोशों के कठिन एवं दुरूह शब्दों पर आधारित न हों। आजकल अनावश्यक जटिल शब्दों के प्रयोग की परम्परा जोर पकड़ती जा रही है, यह ठीक नहीं है। जो शब्द जितने छोटे, सरल और उच्चारण की दृष्टि से सरल एवं सुगम होते हैं, उनका प्रचार उतना ही अधिक होता है। बेढंगे और भद्दे प्रयोगों से बचना चाहिए। भाषा में मिठास होनी चाहिए :- जैसे (1) थाल आपकी प्रतीक्षा कर रही है, (2) नीरस तरुवर सामने विलास कर रहा है, (3) कृपया अपने जूटन से घर को पवित्र कीजिए, (4) पत्र पाकर अनुगृहीत हुआ, (5) कृपया अपने दर्शन से अनुगृहीत करें इत्यादि।

अंग्रेजी शब्दों से भरी हुई भाषा न हो। बहुतों को निम्नलिखित वाक्यों को प्रयोग करते देखा गया है:-

(1) साइकिल का टायर बर्स्ट कर गया है, (2) वह लड़की एक्स्ट्रीमली ब्यूटीफुल है, (3) उसे एलाइव मेल चाइल्ड हुआ है। इस प्रकार के वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। उक्त तीन वाक्यों को हम इस प्रकार प्रयोग करें तो श्रेयस्कर हो- (1) साइकिल का टायर फट गया है। (2) वह लड़की अत्यधिक सुन्दर है, (3) उसे जीवित लड़का हुआ है अथवा उसे जीवित पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है।

हिन्दी में काम करते समय शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। Sanction Approval और Permission शब्द अलग-अलग प्रयोजन के रूप में व्यवहृत होते हुए स्वीकृति या मंजूरी, अनुमोदन और अनुमति के अर्थ में प्रयोग किए

(Calculator), संपात (Coincidence), उपविधि (By-law), परिनिदा (Consure) इत्यादि । हिन्दी सरल होनी चाहिए अन्यथा यह कुम्हला जाएगी ।

प्रायः यह भी देखा जाता है कि एक ही प्रकार के अंग्रेजी पाठ की एक ही हिन्दी प्रत्येक राज्य में नहीं बनाई जाती है । केन्द्र ने कुछ दूसरी हिन्दी बनाई है और विभिन्न राज्यों ने उन्हीं शब्दों के लिए कुछ और हिन्दी बनाई है, जैसे—

शब्द	केन्द्र	उत्तर प्रदेश	बिहार	मध्य प्रदेश
1. Administrative officer	प्रशासन अधिकारी	प्रशासनाधिकारी	प्रशासन पदाधिकारी	—
2. Foll	प्रतिपण	—	अधकट्टी	अधपन्ना
3. Abstract	सार	सारपत्र	सारांश	संक्षेप
4. Pay Slip	वेतन-पच्ची	—	वेतन-पूजा	—
5. Comment	टीका टिप्पणी	आलोचना	टीका टिप्पणी	समालोचना

अतः सुझाव है कि सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजी के एक शब्द के लिए एक ही तरह का हिन्दी शब्द बनाया जाना चाहिए ।

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अच्छे-अच्छे अंग्रेजी-हिन्दी कोश, हिन्दी-अंग्रेजी कोश एवं हिन्दी से हिन्दी कोश रखे जाने चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कोशों का यथासंभव सहारा लिया जाना चाहिए ।

उक्त सारी बातों को सही ढंग से कारगर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ तो श्रेयस्कर हो :-

- (1) कार्यालय / निगमों/ बैंकों आदि में हिन्दी अधिकारी एवं अनुवादकों के पदों का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- (2) हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि की सुव्यवस्था होनी चाहिए ।
- (3) निर्धारित हिन्दी-परीक्षा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ आदि) का अच्छा प्रबंध सभी कार्यालयों में होना चाहिए ।
- (4) हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाना चाहिए ।
- (5) हिन्दी कवि-सम्मेलन, वार्षिकोत्सव आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- (6) हिन्दी में अधिकाधिक काम करनेवालों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए ।
- (7) कार्यालयों / निगमों / बैंकों से हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित की जानी चाहिए । सौभाग्यवश भारत सरकार का ध्यान इन समस्त बातों की ओर गया है ।
- (8) इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की किताबें हिन्दी में छपनी चाहिए एवं सभी तकनीकी पढ़ाई भी हिन्दी में ही हो तो हिन्दी की अधिक से अधिक प्रगति हो सकती है । वकालत की पढ़ाई भी हिन्दी में होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष में हिन्दी उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर रहेगी ।

अस्तु हिन्दी के बढ़ावे के लिए सबों को सतत्प्रयत्नशील रहना चाहिए । हिन्दी हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा एवं मातृभाषा है । इस बात को सदा एवं सर्वदा याद रखना चाहिए कि कोई भी प्रगतिशील राष्ट्र अपनी मातृभाषा की अवहेलना कर आगे नहीं बढ़ सकता ।

—इत्यलम्—

जय हिन्दी, जय भारत

आत्म-सम्मान

-डॉ० इन्ददेव सिंह,
ब० ले०

जिसमें आत्म सम्मान नहीं, वह चारण हो सकता है, विदूषक हो सकता है, गुलाम हो सकता है, नीलाम हो सकता है। निर्जीव वस्तु-सदृश नीलाम होनेवाले को कौन उबार सकता है ? कौन बचा सकता है ? कौन प्रतिष्ठा का जामा पहना सकता है ? कौन मान-जीवन जीने की राह दिखा सकता है ? व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा आप सुरक्षित करें, तभी जग भी उसे प्रतिष्ठा देगा, गौरव देगा, मान देगा। प्रतिष्ठा की भीख मांगने वाला कहाँ और कब तक प्रतिष्ठा पाता है ? प्रतिष्ठा भिक्षा की वस्तु नहीं, वह हमारा जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार है। उसे पाने एवं बचाने के लिए गिड़गिड़ाने वाले क्या कभी प्रतिष्ठा अर्जित कर सकें ? उसे अधिकार पाने के लिए सक्षम कदम उठाने होंगे। उसमें तनिक भी ढील सफलता के मार्ग में बाधक होगी।

प्रतिष्ठा वैसे भी क्रय नहीं की जा सकती। धन-संग्रह का कोई सम्बन्ध प्रतिष्ठा से नहीं है। धन से जुड़ी हुई प्रतिष्ठा क्षणिक ही है। वैभव से जुड़ी मर्यादा झूठी है। वास्तविक प्रतिष्ठा का उत्स सदाचार है, न्याय है, उदारता है, विवेक है, ज्ञान है, सौजन्य है। इनसे अर्जित प्रतिष्ठा चिरस्थायी होगी। इस पर कभी आँच नहीं आएगी। इसे झूठ के बादल कभी ढक नहीं सकते।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रति प्रेम होना चाहिए। जिसे अपने प्रति प्रेम नहीं है, उसे प्रेम के अंकुर कौन दे सकता है ? अपने प्रति प्रेम होने पर आत्म-प्रतिष्ठा के अंकुर स्वतः उग आयेंगे। जिसमें आत्म-प्रतिष्ठा होगी, उसे ही प्रतिष्ठा दे दूसरे भी गौरवान्वित होंगे। आत्मप्रतिष्ठा ही आत्मोन्नति की कुंजी है। इसका अभाव ही सारी अवनति की जड़ है।

जीवन में लक्ष्य का भी महत्व है। लक्ष्यहीन जीवन पतवार-हीन नौका के समतुल्य है जिसके कभी भी डूब जाने में संदेह कहाँ ? आत्मविश्वास लक्ष्य-सिद्धि का सबसे बड़ा सम्बल है। आत्म-विश्वास का सम्बन्ध स्वास्थ्य, बल,

शारीरिक-मानसिक पुष्टता से नहीं है। यह भीतरी तत्त्व है। चारित्रिक दृढ़ता एवं मानसिक-प्रशिक्षण इसकी आधारशिला है। यह वह नींव का पत्थर है जिस पर भावी जीवन का दृढ़ प्रासाद खड़ा होता है। इसी की दृढ़ता पर भवन का स्थायित्व निर्भर है।

स्वावलम्बन जीवन का प्रथम सोपान है। बचपन से ही इसकी शिक्षा प्रारम्भ की जानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा-पद्धति में इसका क्षेत्र व्यापक था। किन्तु, आधुनिक खर्चीली और सैद्धान्तिक शिक्षा-प्रणाली में इसका लिए अवसर नगण्य हैं। यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा सीधी हनुमान-कूद ही है। यहाँ येन-केन-प्रकारेण एक डाली से दूसरी डाली पकड़ने का ही अभ्यास कराया जाता है। जीवन में क्रमिक, चरणबद्ध और व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए अक्सर कम मिलते हैं। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य अक्षरज्ञान मान लिया गया है। अनुभव-जन्य ज्ञान देने की परिपाटी समाप्तप्राय है। फल सामने है। नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। सभी को नौकरी दी नहीं जा सकती। अतः बेकारों की पलटन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर, बिना शिक्षा या नाम मात्र की शिक्षा से दूसरे व्यवसाय, छल-प्रपंच, ठगी, छीना-झपटी, लूट, मार-काट से जीविकोपार्जन में श्रम कम लगता है। तब अधिक खर्च कर उच्च शिक्षा या गम्भीर ज्ञान क्यों प्राप्त किया जाय ? सिनेमा, टी० भी० और अन्यान्य सस्ते माध्यमों ने विविध ज्ञान के भण्डार खोल दिए। आचरण की शिक्षा समाप्त-सी है। शारीरिक गठन के लिए भी अवसर शून्य-से हैं। परीक्षाएँ जिस किसी भाँति पास कर डिग्री हथियाने की मनसा प्रबल होती जा रही है। शोध मनोयोग से करने की क्या आवश्यकता जब शोधार्थी को बिना श्रम उपाधियाँ सहज उपलब्ध हैं और द्रोणाचार्य स्वयं ही छात्र-हित में शोध पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। यह वर्तमान

युग की बहुत बड़ी देन है। वर्ग में न छात्र का मन लगता है और न द्रोणाचार्य का। पाठ्य-पुस्तकें सामने रखकर परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर भी जब घर पर ही तैयार हो सकते हैं तो मनोयोग से अध्ययन की भूल क्यों की जाए? आँख फोड़ने की महत्ता ही क्या है? जब पिता ही पुत्र के लिए पढ़ लेते हैं तो छात्र पढ़ने की धृष्टता क्यों करें? श्रम-फल में गूदा या मिठास ही नहीं, तो उसे तोड़ने के लिए हाथ-पैर क्यों चलाया जाय? परिणाम समक्ष है। अब तो उपाधियों ढोना भी भार समझा जाने लगा है। उसे सिर पर लादकर कमर क्यों टेढ़ी की जाय? धन्य है कल जो आनेवाला है। धन्य हैं गुरुजन जो उस कल को जन्म दे रहे हैं। धन्य होगा वह समाज जो उस काल में साँस लेगा, पलेगा।

पुरानी पीढ़ी तो सठिया चली है या तुष्ट हो चली है अपने वर्तमान से। उबार का मार्ग ढूढ़ने में भी वह असमर्थ है।

वह आलोचना के पुल बाँध सकती है, किन्तु उस पीढ़ी से मार्ग पाने की आशा भी क्षीण है। नई पीढ़ी की सूझ-बूझ न और चिन्तर धारा पर ही भरोसा किया जा सकता है। नई पीढ़ी पर भविष्य-निर्माण या संहार का सम्पूर्ण भार है। उसे ही निष्ठा या मनोयोग से मार्ग प्रशस्त करना है। स्वयं को सँवारना, सजाना, या उबारना है। दृढ़-निश्चय और लगन से सम्भव है। कहानियाँ रचने-गढ़ने, सुनने-कहने या पढ़ने से भविष्य गढ़ा नहीं जा सकता है। हित-साधन का व्रत ही काम आ सकता है। आज सपनों का संसार अपने ही हाथों से रचा जा सकता है। दूसरों से अपेक्षा रखने वाला आत्म-प्रवंचक है। निर्णय आप स्वयं करें। फल आप स्वयं चखें। किन्तु, यदि भविष्य को मीठे फल सुलभ नहीं हुए तो भविष्य खुलकर कोसेगा। प्रशंसा या निन्दा में जो पसन्द हो, चुन लें।

□

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है उसे यथोचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

- स्वर्ण सिंह ।

राष्ट्रभाषा की उपेक्षा से देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा ।

- श्रीमती महादेवी वर्मा ।

हिन्दी अब सारे देश की राष्ट्रभाषा हो गई है।

उस भाषा का अध्ययन करने और उसकी उन्नति

करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए

सरदार वल्लभभाई पटेल

बेवफाई

चन्दिका सिंह,
वरिष्ठ लेखाकार

अनुभाग - पी० ए० ओ० ॥

मैंने प्यार किया,
तूने दर्द दिया ।
सुख तुम्हीं ने दिया जिन्दगी के लिए,
दुःख तुम्हीं ने दिया, जब हम जाते रहे,
तुम किसी में मगन, हम तुम्हीं में मगन,
जिन्दगी भर हमें तू जलाती रही ।
रूप तेरा बनाया, तेरी महिमा,
रात चढ़ती गई तो खिला चन्द्रमा ।
खोज की है तेरी जिन्दगी में जहाँ,
घटा काली में कौंधी है बिजली वहाँ ।
मेघ गरजे जहाँ, प्रेमी तड़पे वहाँ,
बादलों-से गरज दिल डोलाते रहें,
तुम किसी में मगन, हम तुम्हीं में मगन,
जिन्दगी भर हमें तू जलाती रही ।
बिना प्यार के तू भटकती रही,
दीप बनकर अँधेरे में जलती रही ।
हर हवा में लहर, प्यार देती मगर,
सितारों से दिल तू लगाती रही ।
दर्द तूने दिया, प्यार इतना किया,
हम कहीं भी गये दिल लगाते रहे,
तुम किसी भी मगन हम तुम्हीं में मगन
जिन्दी भर हमें तू जलाती रही ।
तुम रूपों की रानी,
तो लुटेरे नहीं हम,
बनी दीप तुम्हीं,
सनम तो हुए हम ।
साथ रहकर हम तो
जलते गये,
तुम हुई न हमारी
हम तड़पते रहे । □

अध्यात्म की दृष्टि में-पुरुषार्थ

— सजय कुमार नं०-3
अनुभाग अधिकारी

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

वह प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अन्तरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें ।

मित्रों, "इस संसार में जो कुछ भी पाया है, असन्तुष्टों ने ही पाया है"—ऐसा विचार बहुत लोगों का है । आज हम भी असन्तुष्ट हैं और कुछ पाने के लिए हम कितना नीचे गिर सकते हैं यह हम सभी जानते हैं ओर आए दिन करते भी होंगे ।

भारतीय अध्यात्म ने संतोषपूर्वक जीवन-यापन करना, परम-सुख को प्राप्त होना बताया है, प्रगति को उचित माना है, निष्काम भाव से कर्तव्य पर डटे रहने एवं लोभ-मोह त्याग करने की बात कही है । तो क्या यह माना जाए कि सुख-प्राप्ति के लिए हम जिस स्थिति में हैं वैसे ही संतोष कर लें, तो फिर प्रगति का क्या होगा ? संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अर्थ यह है कि हम अपनी वर्तमान-व्यवस्था से सन्तुष्ट रहते हुए, बिना अनुचित मार्ग अपनाए, हेय कर्म किए प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करें एवं उस दिशा में प्रयास करें । यह प्रयास सामूहिक भी हो सकता है और यदि मित्र न मिले तो फिर टैगोर के शब्दों में—"तोमि ऐकला चलो रे ।" असन्तुष्टों को यदि दुष्ट कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि वे प्रगति तो करते हैं और करते होंगे भी, किन्तु अनैतिक आचरण अपनाकर । अनैतिक आचरण अर्थात् वैसा आचरण जो दूसरों के द्वारा हमें अपने लिए पसन्द नहीं है, अथवा दूसरों के दुःख की कीमत पर स्वयं सुख प्राप्त करता ।

आज हम मोह के त्याग का अर्थ यह समझते हैं कि

परिवार छोड़कर संन्यासी बन जाय, तो फिर कर्तव्य क्या है ? मोह त्याग का अर्थ यह है कि हम अपने परिजनों से प्यार-मुहब्बत करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है उस पूरा करें, किन्तु हम उनके प्यार में कभी ऐसे नहीं डूबें कि उनके द्वारा अनैतिक आचरण अपनाया जाना भी हम अनदेखी कर दें ।

प्रश्न यह है कि आज हम क्या कर रहे हैं ? एक ओर तो हम स्वयं अनैतिक आचरण करते हैं, अपने परिजनों को भी बढ़ावा देते हैं और दूसरी ओर भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, मन्दिर से बाहर निकलकर अपने कष्टों के लिए (जो खुद स्वयं का ही उपजाया हुआ है) भगवान को गाली भी देते हैं ।

मित्रों, देवताओं का अनुग्रह मिलता तो है । मैं यह नहीं कहता कि प्रसाद चढ़ाने वालों को नहीं मिलता, लेकिन बिना शर्त नहीं मिलता, पात्रता पहले साबित करनी पड़ती है । अगर हम अनैतिक आचरण नहीं छोड़ सकते तो यह विश्वास कीजिए कि हमको अन्ततः निराश ही होना पड़ेगा ।

हमें अपनी मनः स्थिति को, विचारधाराओं, आस्थाओं को बदलना पड़ेगा । यदि यह कर सकें तो समझिए कि देवता की कृपा के साथ-साथ बाहर का सहायता भी जरूर मिलकर रहेगी । आइए, हम एक बार पुनः उस परमात्मा से यह प्रार्थना करें कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें ताकि हम उसके कृपापात्र बन सकें ।

ॐ शान्ति : । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

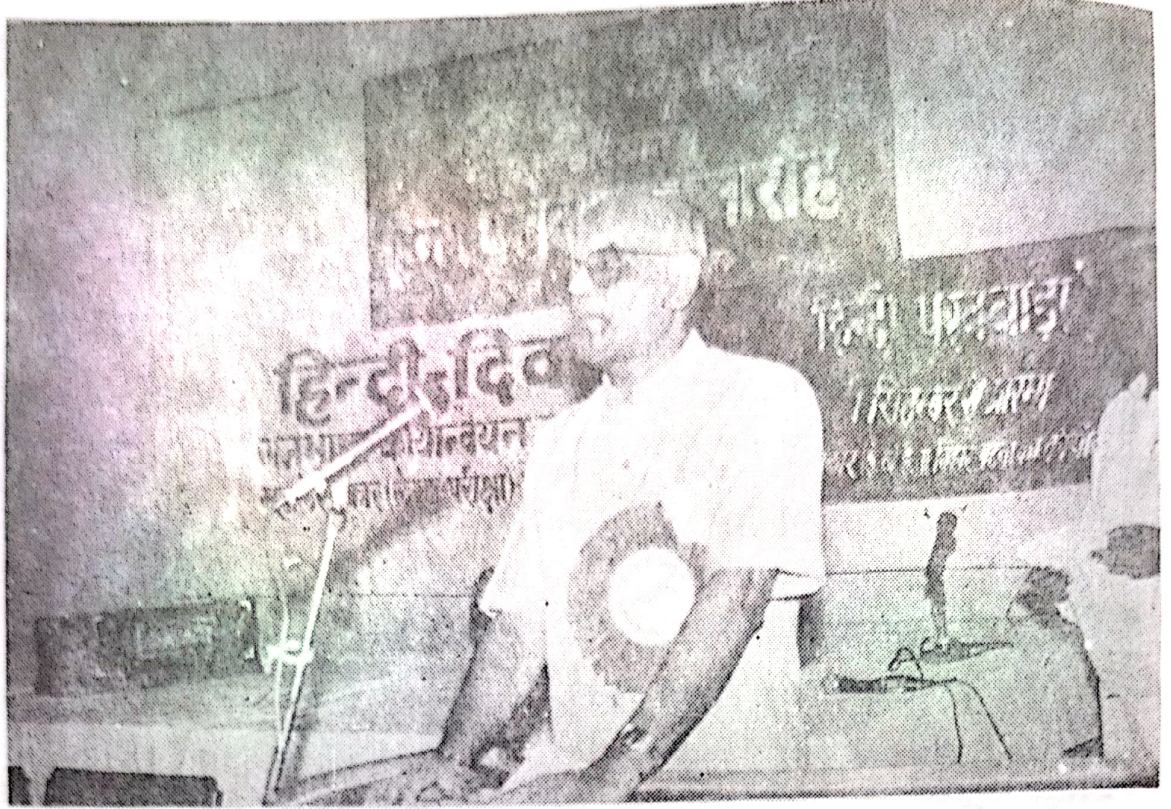




हिन्दी पखवाड़ा समारोह का उद्घाटन करते हुए महालेखाकार
(ले. एवं ह.) - II, बिहार, पटना, श्री अरुण कुमार सिंह



हिन्दी पखवाड़ा में कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए माननीय
महालेखाकार (ले. एवं ह.) - II, बिहार, पटना, श्री अरुण कुमार सिंह



हिन्दी पखवाड़ा में अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए
समारोह के मुख्य अतिथि श्री जिया लाल आर्य, मुख्य निर्वाचन
आयुक्त, पटना, बिहार ।



हिन्दी पखवाड़ा समारोह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एवं
कार्यक्रम की घोषणा करते हुए श्री मनीष कुमार, उपमहालेखाकार
(प्रशासन) लेखा परीक्षा कार्यालय, बिहार, पटना ।



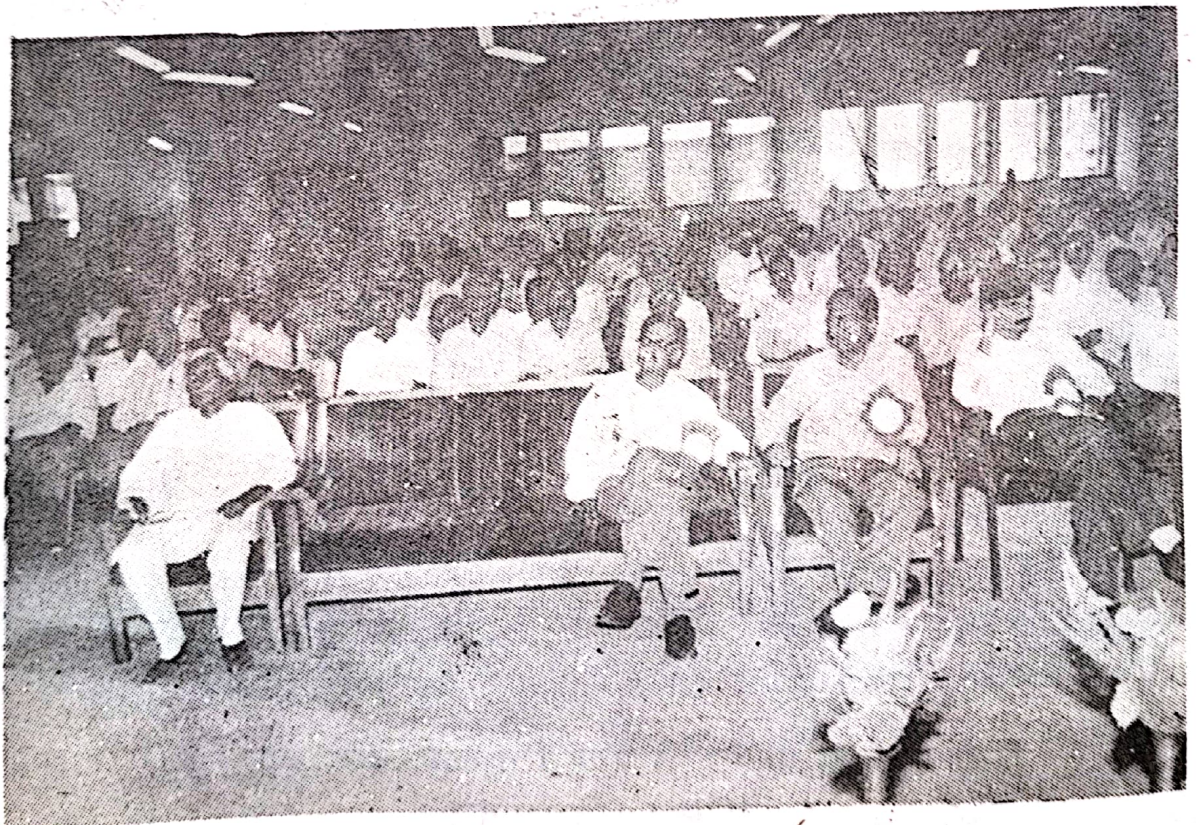
हिन्दी पखवाड़ा समारोह के अध्यक्ष श्री एस. सी. राउत,
उपमहालेखाकार (जी. ई. एवं निधि) अध्यक्षीय भाषण करते हुए ।



हिन्दी पखवाड़ा समारोह के प्रथम दिन उद्घाटन के उपलक्ष पर
उपस्थित अधिकारीवृन्द ।



हिन्दी पखवाड़ा समारोह के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए
कलाकार श्री आर. पी. चक्रवर्ती, सुश्री मीना रजक एवं
तबलावादक, मु० रफीक ।



हिन्दी पखवाड़ा समारोह के उपलक्ष में उपस्थित अधिकारी एवं
कर्मचारीवृन्द ।

“गाँव के मजदूर के बच्चे”

-राम बाबू राम,

अनुभाग अधिकारी, अभिलेख अनुभाग

गाँव की धुँधरी छाया की पृष्ठभूमि में जहाँ-तहाँ बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़, कुछ बांसबाड़ी और कुछ ताड़ के पेड़ पूरबा हवा में गौरव से मस्तक उठाए झूम रहे हैं; और गाँव के मजदूर के बच्चे अपनी-अपनी बकरी, भैंस, गाय को लेकर सबेरा होते बंधार-बगीचे की ओर उन्हें चराने घर से निकल पड़े हैं। दूर बंधार और चौर के खेतों से होते बहता छोटा नाला है जिसमें थोड़ा-थोड़ा जल बह रहा है; जो नदी-सा लग रहा है। दूर खेतों में हलवाहा हल चला रहे हैं और बकरी, भैंस, गाय का बड़ा झुंड उधर परती जमीन में हरी घास चर रहा है; नाला के कछार के झाँओं और झाड़-जंगल में पूरबा हवा का हिलोर है; हहारन है और मजदूर के बच्चे सूखे पत्ते, लकड़ी, कंडा इकट्ठा कर आग जला रहे हैं। वे नाले से छोटी-छोटी मछली पकड़कर उसे आग में भून रहे हैं। कुछ घर से लाये आलू या एकाध शकरकन्द आग में भून रहे हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर दो-तीन औरतें घास छिल रही हैं और बच्चे आग में अपनी-अपनी चीज भून रहे हैं।

सामने बंधार में गाय-भैंस चर रही हैं और गाय का बछवा अपने पेट में गर्दन डालकर सो रहा है; बकरियों का झुंड जिसमें से एक मोटे थन से एक पठेरु (बच्चा) लटक रहा है। वे बच्चे लकड़ी, कंडे और पत्ते की आग में चीज भून रहे हैं जो उनके पास हैं।

पूरबा हवा, आग की लपट और धधक को रह-रहकर बढ़ा देती है; मजदूर के दो-चार बच्चे आग में रखी छोटी-छोटी मछली, आलू और शकरकन्द को बाँस के फट्टी से उलट-पुलट कर रहे हैं! आग की दहक और धुँआ से चेहरा झुलस रहा है, आँख और नाक से पानी गिर रहा है; लेकिन वे उस पर भी खुशी से नाच उठते हैं, रह-रहकर वे बड़े प्रेम से आग में अपनी-अपनी चीज जीभ

की ललक में भून रहे हैं! जो उधर दूर खेतों में फसलें काट ली गई हैं; गाय, भैंस और बकरियाँ चर रही हैं; बगुले उनके अगल-बगल उनकी पीठ पर सवार हो चल रहे हैं कि ललक में उन्हें भी कीड़े-मकोड़े मिल जाएँ कहीं; दूसरी ओर उस नाले में थोड़ा पानी है, जहाँ बगुला कुछ उपवास में अपनी-अपनी ललक में खड़े हैं। कटे खेतों में बंधारों में वातावरण शान्त ही शान्त है, और, वे मजदूर बालक उस धुँआ भरी लकड़ी, पत्ता और कंडा की आग में अपनी चीज बड़ी तन्मयता से भून रहे हैं।

ये बच्चे बारह से चौदह साल के होंगे। कोई काछा पहने, कंधे पर गमछा लिए हैं तो कोई काछा एवं गंजी पहने हैं। मैले हैं, नहाने की सुध भी नहीं है उन्हें। वे आग में अपने-अपने आलू, शकरकन्द और छोटी मछली को भुनने व पकाने में मस्त हैं। शायद उनके पेट की आग शाश्वत बुभुक्षा का डंका पीट रही है। वे बड़े यत्न से टांग फैलाकर बैठे, आग के धुँआ से लड़ते, आँख लाल किये, पानी गिरते नजर से आग में भुनने में मस्त हैं। हाँठों से लार टपकती तो झट उसे ऊपर खिंच लेते हैं।

थोड़ी दूर पर गाँव और गाँव से सटे बाजार और सड़कें जो शहर की ओर गुजरती हैं, जिसपर बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साईकिल और एक बस-जीप गाड़ी चलती नजर आती हैं। अमीर-गरीब, मध्यम वर्ग के लोग आते-जाते हैं। गाड़ीवाले अपना-अपना तान छोड़ते चले जा रहे हैं; परन्तु उस लाचार मजदूर के बच्चे को अपनी ललक है, आग में भुनकर उन चीजों को खाकर अपनी जीभ के पानी को और पेट की आग को शान्त करने की ललक! वे शहर की मलाई, मिठाई व लड्डू से बेखबर हैं। इतने लोग शहर की ओर एवं बाजार की ओर आया-जाया कर रहे हैं पर वे अपनी धुन में मग्न हैं। आग में चीज भून रहे हैं।

उधर गाय, भैंस और बकरियाँ चर रही हैं, इधर शायद उनकी अपनी चीज पक भी गयी है। वे अपने हाथ की उँगलियों से आग पर से भूनी चीज को निकालते हैं, परन्तु मुँहमांगी चीज को फेंके कैसे ?

मुँह से लार टपक-टपक पड़ती है। झट मुँह में गर्म चीज रख लेते हैं। किन्तु जीभ को भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुँह खोलकर भूनी चीज को थूका भी नहीं जा सकता। बच्चे उसे एक-दो बार मुँह खोलकर हवा लेकर भूनी गर्म चीज को ठंडा कर फिर उसे निगलने की कोशिश करते हैं। उगलने व थूकने की भूल वे नहीं करेंगे। कारण, पेट की ज्वाला उनके सामने शान्त करने को है।

इस प्रयास में उनके बदन और मुखमण्डल पर (चेहरा पर) पसीना-पसीना दिखाई पड़ रहा है, मोटी-मोटी साँस ले रहे हैं, कंठ सूख रहा है; भूनी चीज की साँधी गंध उनकी नाक में है। जीभ का पानी कहाँ सूख गया ? वह जीभ पर क्यों नहीं अब आता ? आँखों में अब पानी-पानी है। उन मजदूर बच्चों की भूनी हुई चीजों पर शायद चील और कौवे भी ऊपर मँडराते चीं-चीं, काँव-काँव करते हुए अपनी हिस्सेदारी का इजहार कर रहे हैं, और वे बच्चे आग में पकायी एवं भूनी हुई मछली, आलू, शकरकंद निगलकर बुभुक्षा शान्त कर कैसी तृप्ति की साँस ले रहे हैं। प्रकृति का क्या क्रूर मजाक गरीबों के साथ है।

□

हिन्दी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है।

—बी० बी० गिरि

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

—महात्मा गाँधी।

“भक्ति”

-शिव शंकर तिवारी
लेखाकार, जी०ई०-४

भक्ति भक्त द्वारा अपने इष्ट के प्रति की गई सेवा व प्रेम है ।

इसे साधारणतया इस रूप में पारिभाषित किया गया है :-

“ तेल की अविच्छिन्न धारा के समान सदा की भाँति अन्तर्यामी इष्ट का चिन्तन व मनन करना ही भक्ति है।”

ईश्वर की भक्ति सही अर्थ में करना मोक्ष की प्राप्ति करना है । वैसे तो भक्ति करने के रूप अलग-अलग हैं :-

कीर्तन-भजन, सत्संग, योगसाधना इत्यादि । इस वसुन्धरा पर अनेक योगी-यति, संत-महात्मा, संन्यासी, महापुरुष व संगीतकार का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में सच्चिदानन्द की भक्ति की गयी। जैसे- मीरा की भक्ति, कबीरदास की भक्ति, सूरदास की भक्ति, गुरु नानक की भक्ति, मुनि दधीचि की भक्ति, स्वामी विवेकानन्द की भक्ति एवं निषादराज केवट की भक्ति इत्यादि ।

भक्ति की महिमा अपरम्पार है । इसलिए हर पार्थिव शरीर प्राप्त प्राणी को भगवद्भक्ति “यथाशक्ति तथाभक्ति” के अनुसार करनी चाहिए ।

वैसे तो बिना हरिकृपा के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। फिर भी गुरु, माता-पिता एवं बड़े जनों की सेवा, दीन-दुखियों पर दया-भाव रखने से भी भक्ति की प्राप्ति होती है ।

जो प्राणी अति दुर्लभ भक्ति के प्राप्ति हेतु उदार भाव से प्रभु का नाम एवं यश का स्मरण करता है और उनमें रमता है, उन्हें परमात्मा बुद्धि-योग देकर आत्मज्ञानी बनाते हैं ।

इस तरह साधक, सेवी एवं तपस्वी आत्मज्ञान के द्वारा

भगवद्-भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ।

क्योंकि, कहा गया है कि-

मुझमें जो रमते सदायुक्त, जो मरे प्रेमी भक्ति करें ।
देता हूँ उनको बुद्धियोग, जिससे वे मुझको प्राप्त करें॥

इस तरह, नारायण उनपर अनुकम्पा करने के लिए उनके चित्त में भावस्थ होते हैं एवं अज्ञानरूपी उपजे हुए बीज का ज्ञानरूपी दीप से जलाकर निर्मल व ज्योतिर्मय कर देते हैं ।

चौरासी लाख योनियों में आवागमन से मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है -भक्ति । अपने अन्तःकरण को शुद्ध करके ही यह संभव है । सभी जीवों के प्रति परोपकार व कल्याण की भावना रखने से ही यह बीज अन्तरात्मा में पनपता है या संत-मनीषियों की सेवा के फलस्वरूप मिली कृपा के द्वारा प्राप्त होता है ।

क्योंकि जितने भी महापुरुष, संत, फकीर एवं महात्मा हुए हैं वे भक्ति पाकर ही तरे हैं :-

गणिका, गीध, अजामिल तर गये, तर गये सदन कसाई।
भक्त प्रह्लाद, विभीषण तर गये, तर गयी मीराबाई ॥’

भक्ति में वह शक्ति है, जो मानवी सत्ता को परम-सत्ता से जोड़ती है । भक्ति-क्षमा, दया, परोपकार, निष्कपटता, कल्याण, न्याय व प्रेम इत्यादि सदगुणों को जन्म देती है।

भक्ति करनेवाले भक्त को अन्त में सद्गति प्राप्त होती है ।

अंत में, मैं उस परम सद्गुरु को कोटि-कोटि नमस्कार करते हुए अपने श्रद्धा-सुमन की खुशबू उन्हें निम्नलिखित रूप में अर्पित करता हूँ :-

“न भाषा, भाव, शैली है, न कविता सारगर्भित है ।
हृदय का प्रेम है, जो आपको सादर समर्पित है ॥ □

दहेज : हमारा सामाजिक अभिशाप

शशि भूषण प्रसाद,
व० ले० अ०, जी० ई-१

तीन अक्षरों से निर्मित शब्द दहेज वस्तुतः अरबी भाषा का शब्द है जो उर्दू और हिन्दी में आया है। दहेज शब्द का अर्थ होता है "सौगात"। इस भेंट या सौगात की परम्परा भारतीय समाज में कब से प्रचलित हुई, यह सृष्टि के आदि क्षणों एवं शनैः शनैः विकासवाद की खोज के साथ जुड़ी हुई है। विवाह के समय कन्या के माता-पिता वर-पक्ष को जो वस्त्राभूषण, धन तथा सामान देते हैं उसे "दहेज" कहते हैं।

किन्तु, यह दहेज आज न तो एक सौगात ही रह गया है और न ही एक भेंट, वरन् आज यह न केवल पूरे नारी-जीवन के लिए एक अभिशाप है, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। यह कुप्रथा धुन की तरह समाज को खोखली करती चली जा रही है और इसी कुप्रथा ने नारी-जीवन और सामाजिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। पहले दहेज कन्या-पक्ष की इच्छा पर निर्भर था, परन्तु अब वर-पक्ष की इच्छा पर। आज विवाह एक सौदा बनकर रह गया है। दूल्हे के भाव लगते हैं। बुराई की हद यहाँ तक बढ़ गई है कि जो जितना शिक्षित है, समझदार है, उसका भाव उतना ही तेज है। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि हजारों कन्याओं की मांग में सिंदूर इसलिए न भरा जा सका क्योंकि उनके माता-पिता इतना दहेज न दे सकते थे जितना कि लड़के वाले माँगते थे।

दुर्भाग्यवश यदि यह विवाह हो भी जाता है तो दहेज की कमी के नाम पर नवविवाहिता को विवाह के पश्चात् या तो अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता है या वे आत्महत्या कर इस सड़ी-गली व्यवस्था से मुक्ति पा लेती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके बावजूद प्रतिदिन

भारतीय संस्कृति की महान परम्परा का गुणगान किया जाता है। किन्तु, होता तो यही है न कि या तो कन्या के पिता को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि का सहारा लेना पड़ता है या उनकी कन्याएँ अयोग्य वरों के माथे मढ़ दी जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद की "निर्मला" दहेज के अभाव में बूढ़े तोताराम के साथ ब्याह दी गई। परिणाम क्या हुआ? तोताराम की हरी-भरी जिन्दगी शमशान में बदल गई। स्वयं निर्मला भी तनावग्रस्त होकर चल बसी।

प्रायः प्रतिदिन समाचार-पत्रों में दहेज के कारण किसी न किसी महिला के मरने-जलने के समाचार मिल जाते हैं। ये सब घिनौने परिणाम दहेजरूपी दैत्य के ही हैं।

दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार की ओर से अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारत में अनेक आन्दोलन चले परन्तु दहेज के विरुद्ध कोई जन-आन्दोलन नहीं चला। इस संबंध में सरकार को कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो दहेज माँगे उसका समाजिक बहिष्कार हो तथा लड़कियाँ ऐसे लड़कों से विवाह करने से इन्कार करें।

यदि जनता ने विशेषकर शिक्षित युवक-युवतियों ने पुरातन मनोवृत्तियों वाले माता-पिता की अवहेलना कर सरकार को हृदय से सहयोग न दिया तो भारतीय संस्कृति पर लगा हुआ यह कलंक सदैव-सदैव के लिए न धुल सकेगा यदि भारत का प्रत्येक नागरिक हृदय से दहेज न लेने और न देने की प्रतिज्ञा कर ले, तब यह समस्या समाप्त हो सकती है। प्रत्येक भारतीय को यह नारा बुलन्द करना चाहिए—

"दुल्हन ही दहेज है।"

□

ओलम्पिक और भारतीय हॉकी

-अमरेन्द्र कुमार, पाण्डेय
विधि कोषांग

ऐसा माना जाता है कि यूनान के "ओलम्पिया" नगर में प्राचीन काल में (ईसा पूर्व 776 से) खेले-कूद का आयोजन हुआ करता था। सम्भवतया इसी नगर के नाम पर आधुनिक युग के इस भव्यतम खेल आयोजन का नाम ओलम्पिक दिया गया।

आधुनिक ओलम्पिक आन्दोलन के जन्मदाता पियरे-डी-क्युबर्टीन (एक फ्रांसीसी) माने जाते हैं। उन्हीं के सद्-प्रयास से सन् 1896 ई० में एथेन्स में 6 से 15 अप्रैल तक प्रथम ओलम्पिक का आयोजन किया गया। तब से प्रत्येक चार साल बाद आयोजित होने वाले इस खेल महाकुम्भ ने अपने 25 पड़ावों से गुजरता हुआ अपना 26 वाँ पड़ाव अटलांटा में डाला है। (सन् 1916 के छठे ओलम्पिक एवं 1940 तथा 1944 के 12 वें एवं 13 वें ओलम्पिक क्रमशः प्रथम विश्वयुद्ध एवं दूसरे विश्वयुद्ध के कारण आयोजित न हो सके) इस प्रकार हम देखते हैं कि अटलांटा ओलम्पिक, 1896 के एथेन्स ओलम्पिक के पूरे 100 साल बाद आयोजित हो रहे हैं, इसलिए यह शताब्दी ओलम्पिक के नाम से मशहूर है। खेल-प्रेमियों की हार्दिक इच्छा थी कि शताब्दी ओलम्पिक का आयोजन एथेन्स में ही हो, परन्तु आज का खेल, खेल न रहकर व्यवसाय हो गया है, और "खेल के इस व्यवसायीकरण" ने एथेन्स को इस सौभाग्य से वंचित कर दिया। अटलांटा ओलम्पिक शताब्दी ओलम्पिक होने के अतिरिक्त अपनी शान-शौकत, चमक-दमक के लिए, वर्षों याद किए जाएँगे। 197 देशों के करीब 8 हजार प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं जो अपने-आप में रिकार्ड है।

ओलम्पिक नक्शे पर भारत का वजूद अगर कहीं नजर आता है, तो वह हॉकी के बंदौलत। भारत, ओलम्पिक

के स्वर्ण पदक विजेता का पर्याय काफी लम्बे समय तक बना रहा। अब तक इस स्पर्धा में भारत ने जो पदक प्राप्त किए हैं, उसका लेखा इस प्रकार है :-

(क) स्वर्ण- 8 बार

(i) 1928, एमस्टरडम (ii) 1932, लॉस एंजिल्स

(iii) 1936, बर्लिन (iv) 1948, लन्दन

(v) 1952, हेलसिंकी (vi) 1956, मेलबोर्न

(vii) 1964 टोकियो (viii) 1980 मास्को।

(ख) रजत-एक बार: रोम के 1960 ओलम्पिक में। ज्ञातव्य हो कि इस स्पर्धा का स्वर्ण पाकिस्तान ने जीता था।

(ग) काँस्य दो बार

(i) 1968, मेक्सिको सीटी

(ii) 1972, म्यूनिख।

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत 1928 से लगातार 1956 तक अपने स्वर्ण-पदक विजय अभियान को निर्बाध रूप से चलाता रहा। इस दौरान अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी क्षितिज पर एक अन्य एशियाई शक्ति पाकिस्तान (जो बाद में भारत का चिर-प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रसिद्ध हुआ) का उदय हुआ। 1960 ई० में उन्होंने पहली बार भारत से स्वर्ण पदक झटका। 1976 में मॉंट्रियल ओलम्पिक के पूर्व तक टीमों का बोलबाला रहा और उनकी शैली को एशियन हॉकी शैली के नाम से जाना जाने लगा। 1976 के बाद भारतीय हॉकी के स्तर में (ये अलग बात है कि 1980 के ओलम्पिक में हॉकी दिग्गजों के बहिष्कार के कारण, भारत को स्वर्ण पदक मिला) निरन्तर गिरावट आ रही है। ओलम्पिक विजेता को आज ओलम्पिक-क्वालीफाईंग-चक्र से गुजरना पड़ता है, ये बड़े ही खेद की बात है। वस्तुतः

आज भारत का नाम, उसके गौरवशाली अतीत के कारण है ।

1992 के बालिसर्लोना ओलम्पिक में बड़े-बड़े दावों को लेकर गयी टीम को, कई अपमानजनक पराजय के पश्चात्, सातवें स्थान से ही संतोष करना पड़ा । नतीजतन अटलांटा ओलम्पिक में खेलने हेतु इसे योग्यता चक्र से गुजरना पड़ा ।

प्रस्तुत लेख लिखे जाने तक भारत ने अटलांटा ओलम्पिक में ग्रुप-ए के अपने सभी प्रारम्भिक लीग मैच खेलकर 6 अंक अर्जित किये हैं, (अर्जेंटीना से 0-1 से हारा, पाकिस्तान (0-0) एवं जर्मनी (1-1) से ड्रा खेला जबकि अमेरिका (4-0) एवं स्पेन को (3-1) से पराजित किया) और भारत सेमीफाइनल में प्रवेश पाने से वंचित रह गया है, अर्थात् पदक प्राप्त करने की सम्भावना समाप्त हो गयी है । अब यह पाँचवें से सातवें स्थान के लिए मैच खेलकर, 90 करोड़ जनता को आकांक्षाओं पर पानी फेरकर, खाली हाथ वापस लौट आएगा ।

भारत के इन प्रदर्शनों से हम भारतीय यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कारण है जो हमारे स्तर में लगातार गिरावट आ रही है ।

पतनोन्मुख भारतीय हॉकी को अगर बचाना है, अपने पुराने गौरवशाली अतीत को प्राप्त करना है, तो हमें उन खामियों की तह में जाकर, उन्हें दूर करना होगा जिनकी वजह से आज हमारे हॉकी पर ग्रहण लगा है ।

परम्परागत हॉकी के दिन अब लद गये हैं, अब यह खेल नई तकनीक, दमखम एवं संसाधन युक्त हो गया है । अनावश्यक ड्रिक्लिंग गेंद को अधिक देर तक अपने पास रखना, मौके का फायदा न उठाना, पेनाल्टी कानरों को गोल में बदल न पाना आदि ऐसी कमजोरियाँ हैं जो उचित प्रशिक्षण एवं खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाकर दूर किया जा सकता है । भारत जैसे विशाल देश में एस्ट्रोर्टर्फ मैदानों की संख्या अंगुली पर गिनी जा सकती है, इस स्थिति को संसाधन जुटाकर दूर करना होगा, तभी हम फिर से यूरोपियन टीमों को धूल चटा सकेंगे । खेल-अधिकारियों

को भी टीम के चयन में भाई-भतीजावाद एवं क्षेत्रीयतावाद को त्यागना होगा, तभी हम अपनी श्रेष्ठता पुनः स्थापित कर पाएँगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी नियमों में आए दिन होने वाले परिवर्तन भी भारतीय हॉकी के हित में नहीं होते, क्योंकि ये नियम यूरोपियन हॉकी को तरजीह देने के लिए ही बनाए जाते हैं । एक सितम्बर, 87 से पेनाल्टी कानर में 6 के बजाए 5 रक्षक का प्रावधान किया गया, जिसका स्पष्ट लाभ गोरों टीमों को मिला । परिणामतः 1988 के सियोल ओलम्पिक के तीनों पदक यूरोपीय टीम की झाली में गए ।

एक सितम्बर, 92 से पेनाल्टी कानर पर प्रथम शॉट के पूर्व गोली के लेटने को प्रतिबंधित कर दिया गया, इससे कार्पेट ड्राइव द्वारा गोल करने के अवसर बढ़े, और भारत एवं पाकिस्तान दोनों ने इसका लाभ उठाया । पाकिस्तान ने इसी नियम का लाभ उठाकर 1994 का विश्वकप जीता । ये एशियाई सफलता गोरों को रास नहीं आई और पुनः नियम परिवर्तित कर गोली के लेटने को विधिसम्मत बनाया गया । यूरोपियन इन परिवर्तनों के पीछे यह दलील देते हैं कि ऐसा करना हॉकी को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है ।

जब तक सृष्टि है, परिवर्तन होते रहेंगे । यही प्रकृति का नियम है, अतएव नियमों में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालकर, भारतीय टीम को श्रेष्ठता साबित करनी है ।

अब हम हॉकी प्रेमियों की नजर (ओलम्पिक के सन्दर्भ में) सन् 2000 के सिडनी ओलम्पिक पर रहेगी । हमलोगों की दुआ, टीम के साथ है कि वह अपनी खांयी हुई प्रतिष्ठा वहाँ प्राप्त करें ।

ओलम्पिक में हॉकी-दुर्दशा को हम पियरे-कुबरटिन के इन शब्दों के साथ भुला सकते हैं कि "ओलम्पिक में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है, जीतना नहीं" । वैसे भी ओलम्पिक असफलता के बाद हम भारतीयों को यह कहने की आदत-सी हो गयी है कि "जो महत्ता संघर्ष की है, वह सफलता की नहीं ।"

“आशा ही जीवन है”

—राजेन्द्र प्रसाद मिश्र,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

आशा मानव अस्तित्व की एक ऐसी शक्ति है, जो मनुष्य को अपने कर्म में प्रवृत्त कर जीवन-यात्रा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। यदि आशा न हो तो मानव-जीवन का अवलम्बन ही समाप्त हो जायेगा। बलवती आशा की नींव पर ही कर्म-फल का सिद्धान्त अपनी भित्ति का निर्माण करता है। उपन्यासकार प्रेमचन्द्र का यह कथन द्रष्टव्य है, “आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा संसार की संचालक शक्ति है।”

आशा मानव हृदय में हर समय रहती है। जिस प्रकार सागर में तरंग है, उसी प्रकार मानव हृदय में आशा की स्थिति है। वह तरंगवत् निरन्तर उठती रहती है। आशा के अभाव में मानव जीवन की स्थिति निरर्थक हो जायेगी। कहा भी जाता है कि, “आशा-तृष्णा न मरी, मर-मर जात शरीर”। आशा वस्तुतः भविष्य की चिन्ता की औषधि एवं जीवन का अवलम्बन है, वह अंतिम श्वास तक पीछा नहीं छोड़ती। आशा ही वस्तुतः माया की छोटी बहन है, जो माया के साथ सहयोग करके एक ऐसा ताना बना बुनती है, जिसमें व्यक्ति सहर्ष अपने को बन्दी बना लेता है। महाभारत में भीष्म पराजित हो गये, द्रोण मारे गये और कर्ण स्वर्ग को चले गये, फिर भी दुर्योधन की यह आशा बनी ही रही कि शल्य पाण्डवों की जीत लेगा। सचमुच आशा इतनी सख्त जान होती है कि वह मरते-मरते भी उठकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं वह मरते हुए में नवस्फूर्ति का संचार करके उसको उठा कर खड़ा कर देती है। “जब तक सांस तब तक आस”, यह कथन मानव जीवन में आशा की अविच्छिन्न व्याप्ति का सूचक है।

आशा सूर्य की भाँति मानव-जीवन में चिर-नवीन स्फूर्ति के साथ निरन्तर तपते हुए कार्यरत बने रहने की प्रेरणा देती है। सूर्य न पीछे की ओर देखता है, और न बीता हुआ समय ही वापस आता है, अतः मानव को सूर्य की भाँति

नित्य नवीन आशा लेकर जीवन में अग्रसर होकर वर्तमान जीवन को मूल्यवान समझना चाहिये। गुलाब का फूल यद्यपि अल्पकाल तक खिलता है, तथापि वह समस्त वायुमंडल को सुरभित करता है। फूलों की एक दूसरी कहानी यह भी है कि वह काँटों के मध्य खिलता है, उसका लालन-पालन भी काँटों के मध्य रहते हुए होता है, फिर भी वे किसी को अपने आँसू नहीं बाँटते, बल्कि आँसुओं के मध्य उत्पन्न प्रफुल्लता और सुगन्ध को लुटाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे काँटों की जिन्दगी में भी आशाओं का सहारा लेकर मुस्कुराना सीखें। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “कामायनी” में प्रथम सर्ग “चिन्ता” के उपरान्त “आशा” सर्ग की रचना की है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ निम्न हैं :

“चिन्ता करता हूँ, मैं जितनी,
उस अनन्त की, उस सुख की
उतनी ही अनन्त ये बनती
जाती रेखाएँ दुःख की।”

परन्तु, आशा इस स्थिति को अधिक समय तक नहीं रहने देती, क्योंकि भविष्य सर्वथा अनिश्चित रहता है। रात्रि के अंधकार के उपरान्त सूर्योदय के आगमन के प्रति व्यक्ति आश्वस्त होकर, प्रकाश की किरण के प्रति विश्वस्त होकर वह रात्रि के अन्धकार को सहर्ष झेल लेता है।

अतः आशाजन्य प्रेरणाएँ, मानव-जीवन को सार्थकता प्रदान करती हैं। आशावान व्यक्ति जीवन और जगत् के सुखद एवं शुक्ल पक्ष पर दृष्टि रखता है, फलतः वह स्वर्ग की अनुभूति करता है। अन्त में, अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शाँ का यह कथन द्रष्टव्य है कि “मेरी राय मानो अपनी नाक से आगे मत देखो, तुम्हें हमेशा मालूम होते रहेगा कि आगे भी कुछ है, और वह भान तुम्हें आशा और आनन्द के लिये उत्साहित करता रहेगा।”

अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा-एक अनुभव

-शम्भु दयाल,
अनुभाग अधिकारी

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा 'अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा' है। इसकी महत्ता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसे उत्तीर्ण किए बगैर कोई भी कर्मचारी वरिष्ठ लेखाकार से आगे प्रोन्नत नहीं हो सकता यानी हर उस कर्मचारी को जो उत्तरोत्तर प्रोन्नति की कामना रखता है, यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसकी महत्ता इस कारण से भी है कि इसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति के भी ज्यादा अच्छे अवसर मिलते हैं। साथ ही इसे उत्तीर्ण कर लेने के बाद कर्मचारी में आत्मविश्वास भी जागृत होता है। इसलिए हर कर्मचारी को इस परीक्षा में उत्तीर्णता अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

सामान्यतः लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि यह परीक्षा बहुत कठिन है तथा इसे उत्तीर्ण करने के लिए एड़ी-चोटी एक करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से इस धारणा को दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने भी अनुभाग अधिकारी परीक्षा दी है और सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि कार्यालय के कई कर्मचारियों ने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की है। मेरा यह अनुभव रहा है कि यह परीक्षा बहुत ज्यादा आसान नहीं तो कठिन भी नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह अवश्य कहूँगा कि यदि योजनाबद्ध तरीके से इसकी तैयारी की जाए तो इसे उत्तीर्ण करना बिल्कुल आसान है।

आइए जरा इस परीक्षा के बारे में और विस्तारपूर्वक चर्चा करें और तब देखेंगे कि सचमुच यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान है। यदि परीक्षा की तैयारी दो-तीन व्यक्तियों के समूह में की जाए तो और भी आसान हो जाता है। यह परीक्षा तीन चरणों में होती है। प्रथम चरण में 'प्रारम्भिक

जाँच परीक्षा' होती है जिसमें दो पेपर होते हैं। द्वितीय चरण में भाग — 1 की परीक्षा होती है जिसमें तीन विषय होते हैं— 1. सामान्य वित्तीय नियम एवं सरकारी लेखों के सिद्धान्त 2. सेवा विनियम और 3. भारत का संविधान। सेवा विनियम के दो भाग होते हैं एक सैद्धान्तिक तथा दूसरा व्यावहारिक। बाकी दोनों पेपर सैद्धान्तिक होते हैं। इसकी तैयारी परीक्षा से कम-से-कम छः माह पूर्व शुरू कर देनी चाहिए। सैद्धान्तिक पेपर के मामले में सबसे पहले मुख्य एवं संभावित प्रश्नों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। फिर प्रतिदिन प्रत्येक पेपर से एक या दो प्रश्न को खूब अच्छी तरह पढ़ें। उसके बाद समूह में उस प्रश्न पर गहराई से विचार-विमर्श करें और फिर उस प्रश्न को अपने ढंग से अपने शब्दों में लिखें और भविष्य में इसे ही पढ़ें। यहाँ पर मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि परीक्षा में यह कोई जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा का ही उपयोग करें। मेरे विचार से एवं मेरे अनुभव के आधार पर मैं तो कहूँगा कि पूर्ण रूप से अपनी भाषा का प्रयोग करें और अपने ढंग से उत्तर दें। साथ में नियम या अनुच्छेद भी अवश्य उद्धृत करें। व्यावहारिक पेपर के बारे में मैं यह कहूँगा कि सबसे पहले वेतन नियम की पूरी किताब पढ़ ली जाए और उसके बाद प्रत्येक अध्याय को बारी-बारी से पढ़ें और उस पर समूह में गहराई से नियम सहित विचार-विमर्श करें। इस प्रकार जब पूरी किताब पर विचार-विमर्श खूब अच्छी तरह से पूरा हो जाए तो प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। इसके बाद इसी तरह से पेंशन नियम तथा अन्य नियमों पर भी अलग-अलग अभ्यास करें। ध्यान रहे अभ्यास करते समय नियमों का भी अवश्य उल्लेख करें। इससे नियम याद भी हो जाता है और नियम लिखने की आदत भी पड़

जाती है। जब सभी नियमों पर अलग-अलग खूब अच्छी तरह अभ्यास हो जाए तो सभी नियमों के प्रश्नों में से एक-एक प्रश्न लेकर एक साथ हल करने का अभ्यास करें जिस तरह से परीक्षा में आता है। समेकित रूप से प्रश्नों को हल करते वक्त समय का भी खयाल रखें। इस तरह से अभ्यास करने पर व्यावहारिक पेपर बहुत आसान हो जाता है, साथ ही इस तरह से सेवा विनियम के सैद्धान्तिक पेपर में भी काफी मदद मिलती है। परीक्षा में उत्तर देते समय भी कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सैद्धान्तिक पेपरों में सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का चुनाव कर ध्यान में रख लें जिसका उत्तर छोटा हो तथा जिसे आप आसानी से लिख सकें। ऐसा करने से समय की काफी बचत होती है। साथ में नियम या अनुच्छेद लिखना न भूलें। यह बहुत ही आवश्यक है।

तृतीय चरण में भाग — II की परीक्षा होती है। इसकी तैयारी परीक्षा से कम-से-कम चार माह पूर्व प्रारम्भ कर देनी चाहिए। इसमें चार पेपर होते हैं :-

1. लोक निर्माण कार्य लेखे 2. बही खाता 3. संक्षेपण एवं प्रारूपण 4. सरकारी लेखे। लोक निर्माण कार्य लेखे सैद्धान्तिक पेपर है तथा इसकी तैयारी भाग - I के सैद्धान्तिक पेपर जैसा ही करें। बही खाता में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों तरह के प्रश्न होते हैं। इसमें पहले से ही यह तय कर लेना चाहिए कि उन्हें सैद्धान्तिक भाग को भी देखना है या सिर्फ व्यावहारिक भाग को। ऐसे इसमें व्यावहारिक भाग से लगभग 80-85 अंक के प्रश्न होते हैं और केवल इन्हें ही हल करके 50-60 अंक लाया जा सकता है। ऐसे इसमें मुख्य बात रुचि की है। अपनी रुचि के अनुसार ही चयन कर शुरू से ही चयनित भाग की तैयारी करें। इससे तैयारी ज्यादा अच्छी और सुदृढ़ होती है। संक्षेपण एवं प्रारूपण भाग - II का एक महत्वपूर्ण पेपर है और ज्यादातर लोग इसी में असफल होते हैं। ऐसे मेरे विचार से यह कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। इस विषय के संबंध में मेरा

अनुभव यह है कि इसमें सबसे पहले स्वतंत्र प्रश्न को हल करना चाहिए। उसके बाद संक्षेपण को दो-तीन बार इत्मीनान एवं शांत भाव से पढ़ना चाहिए। जब उसे दूसरी बार पढ़ रहे हों तो उसमें जो पैरा या वाक्य महत्वपूर्ण लगें उसे ध्यान में रखें। इसके बाद संक्षेपण से संबंधित पत्र लिखें और सबसे अंत में संक्षेपण लिखना आरंभ करें। संक्षेपण भूतकाल में लिखना चाहिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का खयाल रखा जाए कि संक्षेपण की कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटने न जाए, भले ही संक्षेपित भाग मूल भाग की एक तिहाई से अधिक ही क्यों न हो जाए। इसमें संक्षेपण के सभी महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल अपने शब्दों में रखने का प्रयास करें। साथ ही अच्छी लिखावट पर भी ध्यान दें। तत्पश्चात् एक उपयुक्त शीर्षक दें जो न तो बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा और जो इसका प्रतिनिधित्व कर सके। सरकारी लेखे में ऐसे तो कई किताबें हैं लेकिन मेरे विचार से सभी किताबों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें एक तो भविष्य निधि, दूसरी बड़ा अन्तरण प्रविष्टि, तीसरी छोटी अन्तरण प्रविष्टि, चौथी शीर्ष वर्गीकरण और पांचवीं एक टिप्पणी रखी जा सकती है। अन्तरण प्रविष्टि एवं शीर्ष वर्गीकरण का अभ्यास समूह में तथा "मुख्य तथा लघु शीर्ष" की किताब से ही करें। इसके लिए अन्य पुस्तकों से भी सहायता ली जा सकती है। अब रही टिप्पणी की बात तो प्रश्नपत्र में तो तीन टिप्पणियाँ रहती हैं, परन्तु उसमें एक टिप्पणी (जैसा कि तीन-चार वर्षों से होता आ रहा है) लोक निर्माण कार्य लेखे से होती है जिसे हल करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसे सैद्धान्तिक पेपर में भी पढ़ना होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी लेखाकरण नियम 1990 तथा महालेखाकारों के लिए लेखा संहिता पढ़ना भी विशेष लाभप्रद होता है। इससे भी कुछ टिप्पणियाँ निश्चित ही रहती हैं।

आशा है, मेरे इस अनुभव से सभी पाठकगण लाभान्वित होंगे, विशेष रूप से वे पाठकगण जो 'अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा' के परीक्षार्थी हैं।

इन्सान

—अवधेश सिंह,

सहायक लेखा अधिकारी

इन्सान के व्यवहार के बारे में सभी धर्मों के पवित्र ग्रन्थों में नेक हिदायतें दी गयी हैं। जिन्दगी के तौर-तरीकों के बारे में कुरान पाक की शिक्षा या वेदों या काव्यों पर रोशनी डालने के पहले यह समझना जरूरी है कि जिन अच्छे व्यवहारों या कर्तव्यों को जिस जमाने में इन्सानों ने अच्छा समझा है, उन्हें आज भी सहर्ष स्वीकार कर अच्छा समझ कर किया जा रहा है। ईमानदारी, उदारता, सहिष्णुता, इन्साफ, असहायों की मदद, वादों को पूरा करना, बहादुरी, भ्रातृत्व प्रेम को प्रत्येक समय में उँचे स्तर पर मूल्यांकन किया गया है। कुरान के अनुसार इन्सान पैदाइशी तौर पर अच्छे गुणों को स्वतः ग्रहण (प्राप्त) करने की अथक कोशिशें करता है। फिर भी एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि वह कौन-सी ताकत है जो बुराइयों से बचायेगी और अच्छाइयों की ओर ले जायेगी। आज के समय में कथनों एवं उपदेशों के आधार पर बुराइयों पर पूर्णरूपेण अवरोध नहीं लगाया जा सका है।

समय की परिपक्वता यह बताती है कि पाक हस्ती यानी खुदा ने इस संसार को बनाया है, वह अल्लाह अपनी मरजी के मुताबिक चला रहा है। वहीं पैगम्बर ने हिदायत का कानून बनाया है और रसूलों के द्वारा बन्दों तक पहुँचाता है। इन्सान अपनी जिन्दगी के पूरे कर्मों के लिए भगवान, अल्लाह के समाने जवाबदेह है। यह जवाब दुनिया में नहीं, अंत में देना है। जिस प्रकार छात्र पूरी तैयारी के बाद परीक्षा देता है, ठीक उसी प्रकार इन्सान आखिरत की जवाबदेही में अपने पैदा करने वाले के सामने कामयाब हो। इन्सान पूरे वजूद के साथ ताकतों तथा काबलियत का हिसाब देना ही, तालीम की बुनियाद है।

इन्सान को उस बात पर स्वयं एक दिन तैयार हो जाना है कि भगवान, अल्लाह को अपना मालिक माने, उनकी

बन्दगी करें तथा उस रास्ते में गतिमान रहने पर जो कठिनाइयाँ आ जाएँ उन्हें सहन करें। बुराई में फायदा भी हो तो उसे छोड़ दें। जो व्यवहार इन्सान के नेक कर्मों को उभार सकता है तथा बुराई से बचा सकता है वह खुदा, भगवान का डर है और उससे उम्मीद है। कुरान ने दुनिया को बता दिया है कि नेकियों के प्रचारक बनें तथा बुराइयों को मिटाने की कोशिश करें। शास्त्रों में भी इन्सान के शुद्धाचरणों के कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं। आचरण की शुद्धता पर ही ज्ञान और कर्म के समन्वय की आधारशिला रखी गयी है। कर्मक्षेत्र में नियमानुकूल आचरण रखने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। उस श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्य ही प्रमाण बनते हैं।

श्रीमद्भगवत् गीता में भगवान ने कहा है—

यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तन्तदेवेतरो जनः

सः यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते

श्रेष्ठ जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार वर्तते हैं। वह पुरुष जो प्रमाण कर देता है लोक भी उसी के अनुसार वर्तते हैं।

नियमों का सख्त अनुपालन करना ही श्रेष्ठ इन्सानों की पहचान है। बड़े से बड़ा कष्ट झेलकर भी नियम नहीं तोड़ना शास्त्रसंगत है। नियम के अनुपालन में तनिक भी असावधानी से आचरण एवं वातावरण दूषित हो जाता है, अव्यवस्था फैलने लगती है तथा सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। भ्रष्टों का आचरण अनुकरणीय होने लगता है। नियम ताक पर चले जाते हैं। फिर नियम तोड़ने का सामूहिक प्रयत्न होने लगता है। जीवन के मूल्यों का निरादर होने लगता है। सामाजिक खाई की गहराई बढ़ने लगती है। भले लोग त्रस्त होने लगते हैं। इन्सान को समाज ने अपमानित, प्रताड़ित कर, अपनी बेईमानी के स्तर को ऊँचा

उठाने में दुष्टता थोड़ी भी कोताही नहीं करती है। नियम तो मात्र इन्सान के लिए बन्धन है, जो व्यक्ति को समदर्शी बनाने में सार्थक होता है। बेईमान मन पर अंकुश नहीं लगाने के कारण नियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। नियम तोड़ने का बहाना खोजने के लिए सभी प्रकार की कुचेष्टा का सहारा लिया जाता है। अगर कठोर सजा का भय, नियम तोड़ने वाले पर लागू हो और उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आये, तभी नियम का पालन सुनिश्चित हो सकता है। वर्तमान समाज में दो प्रकार की सजा निर्दिष्ट की गयी है जिससे कि नियम भंग न हो जाय। एक सजा लोक की और दूसरी परलोक की। श्रीमद्भगवतगीता में क्षत्रियोचित कर्तव्य कर्म (युद्ध) से अहंकार के कारण

विमुख हो रहे पार्थ (अर्जुन) को भगवान (श्रीकृष्ण) ने कहा है—

यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप का प्राप्त होगा। आज कल प्रायः व्यक्ति अपकीर्ति से न भयभीत होता है और न पाप से घबराता है। आजकल की असन्तुलित सजा किसी को विचलित भी नहीं कर पाती तथा अपकीर्ति तथा पाप करने वाला व्यक्ति अपराध करके निकल जाता है।

यदि शीर्षस्थ व्यक्ति दृढ़ता से स्वयं नियम-पालन करते हुए अग्रसर हो जाय तो छुटभैया अपराधी से समाज का मुक्ति मिल जायेगी। ऐसी धारणा को सबों के हृदय में विराजमान प्रभु सहज स्वीकार करेंगे।

प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिन्दी-प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी चीज से नहीं।

—सुभाषचन्द्र बोस

हिन्दी भाषा उस समृद्ध जलराशि के सदृश है, जिसमें अनेक नदियाँ मिली हों।

—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

पेंशन कार्य के निष्पादन में कम्प्यूटर की मदद

-अच्युतानन्द सिंह,
सहायक लेखा अधिकारी

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - II, बिहार, पटना के कार्यालय में विभागीय पेंशन स्वीकृत्यादेश, सेवा पुस्तिका एवं अन्य कागजात अभिलेख अनुभाग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक स्वीकृत्यादेश एवं अन्य कागजात पर सम्बन्धित अनुभाग चिह्नित करने के उपरान्त अभिलेख अनुभाग द्वारा सभी कागजात "ई० डी० पी० सेल" को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं। इस अनुभाग में प्रत्येक कागजात की सूचना कम्प्यूटर में अंकित (Data Entry) की जाती है। इसके उपरान्त पेंशन कागजात सम्बन्धित अनुभाग में भेज दिए जाते हैं। सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी द्वारा अनुभाग के लेखाकारी/वरिष्ठ लेखाकारों के नाम चिह्नित किए जाते हैं। तत्पश्चात् लिपिक के द्वारा सम्बन्धित डायरी पंजी में अंकित करने के उपरान्त पेंशन कागजात लेखाकारों/वरिष्ठ लेखाकारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार मामले की छान-बीन एवं जाँच के उपरान्त पेंशन/उपादान आदि की गणना एवं नियमानुकूल अपना मन्तव्य अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अनुभाग अधिकारी अपने स्तर से जाँच के उपरान्त अपने मन्तव्य को लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के द्वारा अन्तिम रूप से जाँच के उपरान्त पेंशन/उपादान आदि की गणना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कतिपय मामलों में खासकर नीति-निर्धारण एवं अनियमित पेंशन कागजातों को उच्चाधिकारियों के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

पेंशन/उपादान की गणना स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित लेखाकारों/वरिष्ठ लेखाकारों द्वारा आवश्यक सूचना, विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं अन्य पी० पी०

ओ०/जी० पी० ओ० पंजी में अंकित किए जाते हैं।

स्वीकृत पेंशन/उपादान की गणना अन्य सूचनाओं के साथ ई० डी० पी० सेल को हस्तान्तरित कर दी जाती है। ई० डी० पी० सेल द्वारा कम्प्यूटर में आवश्यक सूचना अंकित कर (Data Entry) पी० पी० ओ० बुक/संवितरक बुक तथा प्राधिकार पत्र तैयार किए जाते हैं।

इस प्रकार तैयार किये गये पी० पी० ओ० बुक, संवितरक भाग एवं प्राधिकार पत्र सम्बन्धित अनुभाग के लेखाकारों/वरिष्ठ लेखाकारों द्वारा जाँच कर अन्तिम रूप से निष्पादन हेतु अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुभाग अधिकारी जाँचोपरान्त अन्तिम हस्ताक्षर हेतु पेंशन कागजातों को लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित पी० पी० ओ०/जी० पी० ओ० बुक के साथ प्रस्तुत करते हैं।

लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निष्पादित होने के उपरान्त अनुभाग के लिपिक के द्वारा निर्गत पंजी में अंकित कर प्राधिकार पत्रों पर निर्गत पंजी की संख्या अंकित की जाती है। इसके उपरान्त भेजे जाने वाले प्राधिकार पत्रों एवं अन्य कागजातों को सहेज कर अनुभाग डिस्पैच पंजी के साथ पेंशन-एक शाखा को हस्तान्तरित करते हैं।

पेंशन कागजातों का डिस्पैच पेंशन-एक अनुभाग द्वारा किया जाता है। कोषागार एवं विभागीय प्रतियाँ सेवा-पुस्तिका के साथ रजिस्ट्रीकृत पार्सल द्वारा भारतीय डाक सेवा के माध्यम से भेजी जाती हैं। पेंशनभोगी को प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कागजात सामान्य डाक से निर्गत किए जाते हैं। पेंशन-एक शाखा द्वारा पुनः डिस्पैच पंजी ई० डी० पी०

सेल को हस्तान्तरित की जाती है। इस अनुभाग द्वारा पुनः कम्प्यूटर में निर्गत पंजी संख्या अंकित (Outward Entry) कर डिस्पैच पंजी को सम्बन्धित अनुभाग को वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार पेंशन मामलों का निष्पादन का कार्य सम्पादित होता है।

प्रायः देखा जाता है कि कम्प्यूटर की मदद से पेंशन-निष्पादन के कार्य में कम समय लगता है। इसकी मदद से कम समय में ही अधिक मामलों का निष्पादन हो

जाता है। कम्प्यूटर से तैयार किये गये पी० पी० ओ० बुक/संवितरक भाग एवं प्राधिकार पत्र काफी सुन्दर एवं पठनीय होते हैं। इस प्रकार तैयार किये गये कागजातों में अंकित अंक एवं अक्षर साफ-साफ, सही तथा पठनीय होते हैं, जिससे कोषागारों को भुगतान करने में काफी सुविधा होती है। फलतः पेंशनभोगियों को इससे अत्यधिक लाभ हुआ है एवं इस कार्यालय में पेंशन मामलों के निष्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

□

“समय सबसे बड़ा महान है, परमात्मा से भी। भक्ति आदि साधनों से परमात्मा को भी बुलाया जा सकता है, किन्तु कोटि उपाय करने पर भी बीता हुआ समय नहीं बुलाया जा सकता।”

-अज्ञात

“सत्य से आत्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का है। एक जिज्ञासा का सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध है, और तीसरा आनन्द का है। जिज्ञासा का सम्बन्ध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का सम्बन्ध विज्ञान का विषय है और साहित्य का सम्बन्ध केवल आनन्द का सम्बन्ध है।”

-मुंशी प्रेमचन्द

“महसूस” (अनुभूति)

—श्री राजेन्द्र प्रसाद रजक
लेखा अधिकारी बिहार, पटना

किसी चीज को महसूस करना, उसकी अनुभूति होना, उसे समझना एक कला है, क्योंकि इन्सान जब तक किसी चीज को महसूस नहीं करता, उसे उसकी अनुभूति नहीं होती, उसे नहीं समझता है तब तक उसे मालूम नहीं होता है कि वह क्या है ।

इस प्रकार यूँ कहा जा सकता है कि इन्सान और भगवान दोनों ही के पास महसूस करने के लिए अनेकों हैं पर उन सभी में अत्यधिक महत्वपूर्ण है—“दर्द” ।

“दर्द” की कहानी प्राचीन काल से लेकर अब तक इन्सान और भगवान दोनों के पास विद्यमान है और भविष्य में भी जारी रहेगी । यह कभी खत्म न होने वाली है । यह किसी न किसी रूप में सिर्फ व्यक्त ही किया जा सकता है, दिया जा सकता है, बाँटा जा सकता है । भगवान तथा सज्जन पुरुष दूसरों के दर्द को महसूस कर उसे बाँटने का प्रयास करते हैं जबकि शैतान और दुर्जन पुरुष उसे बढ़ा कर अपनी शानो-शौकत में चार चाँद लगाने का प्रयास करते हैं । और साथ ही इसके मजा का लुत्फ भी उठाते हैं ।

“दर्द” मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के होते हैं । ये दोनों ही प्रकार के दर्द कुछ एक को जन्मजात होते हैं तो कुछ एक को उस छोटी-सी जिन्दगी में दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं । जन्मजात दर्द को संहने की आदत पड़ जाने के फलस्वरूप उसे और किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता । परन्तु, यदि एक इन्सान द्वारा दूसरे इन्सान को दिया जाने वाला दर्द बढ़ा ही भयानक तथा कष्टदायक साबित होता है जिसका निवारण तत्काल नहीं किया जा सकता । यदि शरीर के किसी भी भाग में दर्द महसूस हो रहा हो तो औषधियों के द्वारा उसे कुछ क्षण के लिए खत्म किया जा सकता है, परन्तु आत्मा पर लगे दर्द को

औषधियों से नहीं बल्कि इन्सानियत के द्वारा ही मिटाया, खत्म किया जा सकता है ।

किन्तु क्या फायदा ? यदि मैं इन्सानियत के नाते दूसरों के दर्द की परवाह करने लगा तो शायद मुझे वह शोहरत, इज्जत, नाम और शान न मिले, क्योंकि यदि मुझे शोहरत, इज्जत, नाम और शान चाहिए तो मुझे दूसरों के दर्द का नजरअन्दाज करना होगा । इसका कारण भी है कि मुझे तो दर्द होता ही नहीं, तो मैं क्या महसूस करूँ ? जिन लोगों को दर्द नहीं होता उनके सामने दर्द की बात करना वैसा ही होगा जैसे “भैंस के आगे बीन बजाय, भैंस बैठ पगुराय” ।

ऐसी बात नहीं है कि इन्सान को दर्द नहीं होता, लेकिन वे महसूस नहीं करना चाहते हैं, उसे समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे यदि दर्द को महसूस करने लगें तो उन्हें इस बात का डर है कि उनका नाम, शान, शोहरत, इज्जत आदि सभी धूमिल होते नजर आने लगेंगे । उदारहणस्वरूप, अमीर, गरीब के दर्द को, अधिकारी कर्मचारी के दर्द को समझना नहीं चाहते । हाँ, यदि कोई मापक यंत्र या उपकरण होता तो वे शायद दर्द को समझने की कोशिश करते । परन्तु, दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ऐसा उपकरण ही नहीं बना है जो दर्द को व्यक्त कर सके । सिर्फ एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है । मैं यह कहना चाहूँगा कि यह उनकी अर्थात् दर्द न समझने वालों की बहुत ही बड़ी भूल है । मैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक इन्सान होने के नाते मुझे दूसरों के “दर्द” को महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए और यदि इस चार दिन की जिन्दगी में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है, जब दूसरे लोग मेरे दर्द को न महसूस करें, न समझे और तब शायद मेरे

पास वक्त न हो। इन्सान के पास यही एक चीज अर्थात् सहानुभूति, प्यार, विश्वास ही है जिसे दूसरों के दर्द में व्यक्त करने में कोई खर्च नहीं होता है। यूँ कहा जा सकता है कि यदि आप बेसहारा हैं तो दूसरों का सहारा बनें। सूर्य खुद तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। धरती माँ खुद अपने ऊपर अपरिमित दुःख-दर्द का भार सहकर भी दूसरों के दुःख-दर्द बाँटती है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप में दर्द को बाँटने, महसूस करने, समझने की कला है तो आप यह देखेंगे कि आपके पास कुछ अर्थात् धन दौलत, शान शौकत न होते हुए भी आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी रहेगी और आप महसूस करेंगे कि दूसरों के दर्द को बाँटने, समझने एवं महसूस करने से कितना सुकून मिलता है कितनी शांति मिलती है, जिसके उपरान्त आपको बिन माँग सब कुछ मिल जाता है।

□

हिन्दी के बिना जनतंत्र की बात केवल धोखा मात्र है।

—अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

मनुष्य हृदय की सबसे बड़ी भूल है आनन्द को जीवन के लक्ष्य रूप में योजना ! आनन्द तो कर्तव्य-पूर्ति से प्राप्त होता है।

—पादरी ग्रीन

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए (वर्ष 1996-97 के वार्षिक कार्यक्रम से उद्धृत)

परिशिष्ट

'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित जांच बिन्दुओं का विवरण

1. फार्मों, कोडों, मैनुअलों और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन ।

हो रहा है ।
का० गा० सं० 12015/18/90-रा० भा० (तक०) दिनांक 25-5-90 और का० ज्ञा० सं० 12015/16/92 रा० भा० (तक०) दिनांक 22-6-92)

शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के प्रेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि (क) भारत के गजट में छपने वाली अधिसूचनाएँ, नियम, संकल्प तथा (ख) कोड, मैनुअल, फार्म तथा रजिस्ट्रों में शीर्ष आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो । जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय सम्बन्धित विभाग को वापस कर देता है । इस प्रकार के जांच बिन्दु भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के अधीन स्थापित प्रेसों में भी बनाए जाने चाहिए, जिससे ऐसी सामग्री केवल अंग्रेजी में न छपे ।

2. देवनागरी टाइपराइटर्स की खरीद

पूर्ति और निपटान निदेशालय अपने यहां टाइपराइटर्स की खरीद सम्बन्धी प्राप्त होने वाली इंडेंटों की जांच करके यह देखें कि क्या आदेशों का पालन हो रहा है । जो विभाग, कार्यालय व उपक्रम अपने टाइपराइटर्स की खरीद, पूर्ति तथा निपटान निदेशालय के मार्फत न करके सीधे ही करता है, उन्हें भी इस प्रकार के जांच बिन्दु बना लेने चाहिए । उनका जो अधिकारी टाइपराइटर खरीदने के लिए अक्षर देता है उसे यह भी देख लेना चाहिए कि क्या आदेशों का पालन

3. सामान्य आदेश तथा अन्य कागजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए । इसके लिए उस अनुभाग को, जहां ऐसे दस्तावेज साइक्लोस्टाइल किए जाते हैं, जांच-बिन्दु बना दिया जाए और ऐसे दस्तावेज सभी साइक्लोस्टाइल किए जाएं जब उनका हिन्दी रूपान्तर भी साथ भेजा गया हो । साथ ही जो अनुभाग इन दस्तावेजों के प्रेषण का काम करता है, वह यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के दस्तावेज साथ-साथ हिन्दी में भी जारी हो रहे हैं । जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिन्दी रूपान्तर अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे ।

का० ज्ञा० सं० 12024/10/90-रा० भा० (ख-2) दिनांक 26-6-92 का० ज्ञा० सं० 12024/2/92-रा० भा० (ख-2) दिनांक 6-4-92 और का० ज्ञा० सं० 20034/53/5392-रा० भा० (अ० वि०) दिनांक 17-7-92)

4. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि ।

प्रेषण अनुभाग को जांच-बिन्दु बनाकर उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करें जब ये हिन्दी में हों या उनका हिन्दी अनुवाद साथ हो ।

5. लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना

प्रेषण अनुभाग को जांच-बिन्दु बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफे पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखे जाए ।

6. रबर की मोहरें, नाम पट्ट साइनबोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना ।

सभी मंत्रालय विभाग और देश-विदेश में स्थित उनमें सभी सम्बन्धी/अधीनस्थ कार्यालय एवं "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने वाले स्वैच्छिक संस्थानों में नामपट्ट रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, आदि द्विभाषी रूप में ही बनवाए जाएं और "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ये मदें त्रिभाषी रूप में तैयार करवाई जानी चाहिए । जो अनुभाग इन वस्तुओं को तैयार करने का काम देखते हैं उसके प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में उल्लिखित वस्तुएं हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी जरूर कराई जाए।

का० ज्ञा० सं० 114034/1/87-रा० भा० (क-2) दिनांक 30-12-87 और का० ज्ञा० सं० 12024/2/92-रा० भा० (ख-2) दिनांक 21-7-92.

7. सेवा पुस्तिकाओं /रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ

"क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्ट्रों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाए । "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियाँ यथासंभव हिन्दी में की जाए ।

का० ज्ञा० सं० 1/12024/2/92 - रा० भा० (ख-2) दिनांक 21-7-92

8. हिन्दी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिन्दी में देना

जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्रादि जारी होता है स्वयं उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि पत्रादि हिन्दी में छपा हुआ है तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए।

9. सामान्य जिम्मेदारी

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में या हिन्दी और अंग्रेजी में जारी होने चाहिए या जो प्रलेख हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए हों ये उसी रूप में जारी होते हैं, यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या आलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है । अतः हस्ताक्षर से पूर्व ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे पत्र/परिपत्र /लेख आदि हिन्दी में या द्विभाषी रूप से जारी किए जाएँ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोडस्वकर्मणि॥

अर्थात्

काम करना ही तुम्हारा अधिकार है । फल प्राप्ति का अधिकार तुम्हें कदापि
नहीं । तुम काम के फल का कारण न बनो और न अकर्म में ही लीन हो।

-गीतामृतम्

“आलस्य में दरिद्रता का वास है, मगर जो आलस्य
नहीं करता, उसके परिश्रम में कमला कमल बसती है ।”

-सन्त तिरुवल्लुवर

विद्या मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च ।
व्याधितस्यौबधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च ॥

अर्थात्

प्रवास अर्थात् विदेश में विद्या मित्र की तरह है ।
घर में पत्नी मित्र की तरह है ।
रोगियों के लिए दवा मित्र की तरह है,
तथा मरे हुए व्यक्ति के लिए धर्म मित्र की तरह है ।

—चाणक्य-नीति

“सच्ची मित्रता में उत्तम-से-उत्तम वैद्य की-सी निपुणता और परख होती है, अच्छी-से-अच्छी माता का-सा धैर्य और कोमलता होती है ।”

—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल